

हिमाचल प्रदेश सरकार

# श्रम एवं रोजगार विभाग



वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

2014–2015

## विशय सूचि

### पृष्ठ

1. अध्याय—1 परिचय	1
2.. अध्याय—2 संगठनात्मक ढांचा	1—5
3. अध्याय—3 श्रम तथा श्रम कल्याण	6—17
4. अध्याय—4 रोज़गार खण्ड	18—26
5. बजट / वास्तविक खर्च वर्ष 2014—15	26—27
6. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 10—4—2007	28—33
7. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 28 अप्रैल,2014 की स्थिति दर्शती विभागीय ए०पी०आई०ओ०,पी०आई०ओ० व एपीलेट अथोरिटी का विवरण	34—43

## **श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2013–2014 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट**

### **अध्याय—1**

### **परिचय**

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है—तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आषावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड—श्रम व कारखाना एवं रोज़गार हैं। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 29 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य धार्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को धीमता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय घिमला व धर्मषाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

रोज़गार खण्ड का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण, मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के समक्ष नाम सम्प्रेशित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम 1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2013–2014 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का व्यौरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रषासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

### **अध्याय—2**

#### **श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा**

2013–14 मेंश्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार “विभागाध्यक्ष” के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः—

1.(क)निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप—श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को “मुख्य कारखाना निरीक्षक” घोषित किया गया हैं तथा संयुक्त—श्रमायुक्त “अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक” एवं उप—श्रमायुक्त “उप मुख्य कारखाना निरीक्षक” घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक षिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक, कारखानाद्वारा रसायन का रिक्त है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित हैः—

1. उप निदेशक कारखाना—षिमला

जिला—षिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।

2. उप निदेशक कारखाना, ऊना

जिला—कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल—स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।

उप निदेशक, कारखानाद्वारा, षिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य—कलापों के लिये निदेशक रोज़गार की देख रेख में उप—निदेशक रोज़गार, रोज़गार तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जो कि रोज़गार योजना विभाग, राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपांगो हेतु विषेश रोज़गार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना योजना विभाग तथा केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के कार्यों की देखरेख करते हैं।

2. श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण:

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

1. श्रम अधिकारी, षिमला

उप—मण्डल षिमला (षहरी एवं ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील

2. श्रम अधिकारी, रामपुर

रामपुर, रोहदू तथा डोडरा—क्वार उप—मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला षिमला तथा उप—मण्डल आनी जिला कुल्लु

3. श्रम अधिकारी, सोलन

उप—मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी—बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)

4. श्रम अधिकारी, बद्दी

तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला जिला सिरमौर

5. श्रम अधिकारी, नाहन

जिला मण्डी

6. श्रम अधिकारी, मण्डी

जिला कुल्लु, उप—मण्डल आनी को छोड़कर उदयपुर तथा केलांग उप—मण्डल

7. श्रम अधिकारी, कुल्लु

जिला किन्नौर व उप मण्डल काजा

8. श्रम अधिकारी, किन्नौर

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 9. श्रम अधिकारी, धर्मषाला  | जिला कांगड़ा              |
| 10. श्रम अधिकारी, चम्बा    | जिला चम्बा                |
| 11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर | जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर |
| 12. श्रम अधिकारी, ऊना      | जिला ऊना                  |

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय षिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप-रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, षिमला	कुमारसैन, मषोबरा, ठियोग, रामपुर-बुष्ठैर, रोहड़, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, तथा गोहर
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मषाला	पालमपुर, ज्वाली, नुरपुर, लम्बागांव, नगरोटा सूरियॉ, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा
4.	जिला रोज़गार कार्यालय	डलहोजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला चम्बा
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ़, अर्की एवं कसौली
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन	पांवटा-साहिब, राजगढ़, षिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलौंग	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय	झूँ एवं निचार
	किन्नौर स्थित रिकांग	पीओ
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना	अम्ब
13.	सूचना एवं मार्गदर्शन	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है। केन्द्र हिं0 प्र0 विष्वविद्यालय, षिमला
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन	—यथोपरि — केन्द्र हिं0 प्र0 विष्वविद्यालय, पालमपुर

3. वर्ष 2014–2015 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण:

### सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा :

<u>क्रमांक</u>	<u>श्रेणी</u>	<u>सेवानिवृत्त की संख्या</u>
1.	प्रथम श्रेणी	1
2.	द्वितीय श्रेणी	3
3.	तृतीय श्रेणी	3
4.	चतुर्थ श्रेणी	2

नई नियुक्ति का ब्यौरा:

<u>क्रमांक</u>	<u>पद</u>	<u>नियुक्त कर्मचारी की संख्या</u>
1.	लिपिक अनुबन्ध व आश्रित आधार पर	1
2.	लिपिक अनुबन्ध आधार पर	2
3.	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी व आश्रित आधार पर	1

### पदोन्नतियों का ब्यौरा:

<u>क्रमांक</u>	<u>पद</u>	<u>पदोन्नतियों की संख्या</u>
1.	अधीक्षक ग्रेड-प्प	6
2.	रोजगार अधिकारी	6
3.	वरिश्ठ सहायक	1
4.	वरिश्ठ आषुलिपिक	1

सुनिष्ठित प्रगतिषील जीविका योजना के अन्तर्गत प्रवीणता वेतन वृद्धि दी गई:

<u>क्रमांक</u>	<u>पद/श्रेणी</u>	<u>प्रवीणता वेतन वृद्धि की संख्या</u>
1.	अधीक्षक ग्रेड-प्प द्वितीय श्रेणी	12
2.1..	वरिश्ठ सहायक तृतीय श्रेणी	50
2.	श्रम निरीक्षक	23
3.	सांख्यिकीय सहायक	9
4.	कम्पयूटर ऑपरेटर	1
5.	लिपिक/कनिश्ठ सहायक	53
6.	चालक	3
3.1.	चपड़ासी चतुर्थ श्रेणी	50
2.	फ्राष	1
3.	चौकीदार	6

अनुबन्ध कर्मचारियों से नियमित किये गये कर्मचारी का ब्यौरा:

<u>क्रमांक</u>	<u>नियुक्त कर्मचारी की संख्या</u>	<u>नियुक्त कर्मचारी की संख्या</u>
1.	तृतीय श्रेणी	2
2.	चतुर्थ श्रेणी	6

**4. श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौरा:**

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 411 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 31-3-2015 को 120 पद रिक्त हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	श्रमायुक्त एवं निदेषक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	-
2.	पीठासीन अधिकारी	2	-
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	-
4.	उप श्रमायुक्त	1	-
5.	उप निदेषक रोज़गार	1	1
6.	डप निदेषक कारखाना	2	-
6.	स्हायक निदेषक कारखाना (रसायन)	1	1
7.	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	3	3
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	10	-
9.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	-
10.	श्रम अधिकारी	12	-
11.	रोज़गार अधिकारी	10	-
12.	विधि अधिकारी	1	-
13	निजि सहायक	1	1
14.	अधीक्षक ग्रेड-प	12	-
15.	वरिश्ठ आषुलिपिक	2	1
16.	वरिश्ठ सहायक	62	13
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	5
18.	श्रम निरीक्षक	33	1
19.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	1	-
20.	कनिश्ठ आषुलिपिक	1	-
21.	आषुटंकक	4	-
22.	चालक	5	-
23.	लिपिक / कनिश्ठ सहायक	128	61
24.	दफतरी	4	1
25.	चौकीदार	13	3

25.	चपड़ासी	83	25
27.	सफाई कर्मचारी	4	4
28.	फ्राष	1	—
	जोड़	411	120

### अध्याय—3

#### श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोज़गार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

#### श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं नियम के प्रावधानोंको प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा षर्टों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक घान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिष्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिष्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिष्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक घान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी षिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना घाँसा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण, नवोंकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा षर्टों का कार्यान्वयन, सुनिष्चित किया जाता है।

#### औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों का विशय महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक घान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुधैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने—अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में

औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप-श्रमायुक्त/संयुक्त-श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। यह वर्कस कमेटियों भी औद्योगिक षान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2014–2015 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31.3.2015 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का व्यौरा निम्नलिखित है:—

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	4961	3,15,922
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	126	7,745
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम, 1926	1308	14,100
4.	बागान अधिनियम, 1951	17	225
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 (क) मुख्य नियोजक	104	15,511
	(ख) ठेकेदार	144	4,711
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) मुख्य नियोजक	1325	1,39,126
	(ख) ठेकेदार	7854	1,48,528
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	6033	2,28,380
8.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	8877	11,54,726

### सांख्यिकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31–3–2015 तक की उपलब्धियों/कार्यों का व्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं में वर्णित है।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लंघना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अभियोग दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

### तालिका—1

क्रमांक	अधिनियम का	1.4.2014 से	1.4.2014 से	1.4.2014 से	जुर्माने
---------	------------	-------------	-------------	-------------	----------

	नाम	31.3.2015 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	31.3.2015 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	31.3.2015 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	की राशि (रुपये)
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	8441	1803	1135	1556125
2	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	3969	209	160	293500
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	4,284	207	144	99,200
4	कारखाना अधिनियम, 1948	1201	195	73	511500
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	78	6	0	0
6	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1096	48	34	48500
7	समान वेतन अधिनियम, 1976	532	0	0	0
8	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	1,148	6	4	46,000
9	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1038	11	3	1500
10	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	708	2	1	200
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय आक्रिमक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम, 1969	1241	12	3	400
12	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम, 1979	170	17	1	3000
13	बाल श्रमिक (निशेह्द एवं विनियम) अधिनियम, 1986	3605	12	12	103000
14	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेष) अधिनियम, 1946	532	0	0	0
15	भवन एंव अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम, 1996	766	43	40	71550
16	चाय बागान अधिनियम, 1951	6	0	0	0
	कुल	28521	2723	1692	2808575

### तालिका—2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.15 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3)	31.3.15 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2015 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेट आथोरिटी के पास अपील की गई
---------	----------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				एवं 4)			है।
<b>उपादान अदायगी अधिनियम, 1972</b>							
पद्ध नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्त एवं निपटाये गये मामलें पपद्ध एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा	97	90	187	104	83	2	
	34	15	49	18	21	10	

### तालिका-3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31.3.2014 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2014 से 31.3.2015 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या खता संख्या 2 व 3 द्व	समझौते के दसैरान धारा 12;3द्व के तहत निपटाये गये मांग पत्र	विवादों/मसंग पत्रों की संख्या जो 12;4द्व के अधीन भेजे गये	31.3.2015 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	750	1120	1870	736	598	536

### तालिका-4

क्रमांक	अधिनियम का नाम
1	औद्योगिक रोज़गार, स्टैंडिंग आरडरज़द्व अधिनियम, 1946
	अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले संस्थान
	प्रमाणित स्टैंडिंग आरडरज़ की संख्या
	2368
	282

## तालिका—5

**दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969**

अधिनियम के अधीन बाजारों की संख्या	31.3.2015 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.15 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31.3.15 के अन्त में कामगारों की संख्या	31.3.15 तक कुल संस्थानों की संख्या	31—3—20 15 के अन्त में कुल कामगारों की संख्या
121	66470	29096	12184	23379	78654	52475

## तालिका—6

**विभिन्न अधिनियमों में प्राप्त षिकायतें**

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2014 को लम्बित षिकायतों की संख्या	1.4.2014 से 31.3. 015 तक प्राप्त षिकायतों की संख्या	योग ; खता संख्या 3 व 4 छ्व	श्रम निरक्षकों द्वारा निर्णीत षिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि ; में छ्व	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31.3.2015 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	298	1145	1443	1078	7560016	1248	365
2.	हिंप्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	4	8	12	8	9000	4	4
3.	हिंप्र० लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	14	12	26	16	670050	78	10
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	3	3	3	96240	39	0

## तालिका—7

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2014 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2015 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2015 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2015 को कुल पंजीकृत कारखानों में प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	2.	3.	4.
4796	66	4861	315922

### औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर 31.3.2014 को 819 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त-वर्ष 2014–15 के दौरान 701 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 ;4द्व के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 1520 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 328 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 ;5द्व के अन्तर्गत 516 निरस्त किये गये तथा 31.3.2015 को 676 मामले षेष हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न-भिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक धान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय-समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/ समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संबोधन / निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
2	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार के अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना।
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिषें सरकार को देना।
4	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिषें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई0 एस0 आई0	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य / पैन्थन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धी कार्य करना। क्षेत्रीय

			कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई० एस० आई० स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	स्थानीय समितियाँ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यान्वयन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	क्षेत्रीय समिति ६० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यान्वयन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारों को शिक्षा देने बारे।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियाँ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्णवास सम्बन्धित कार्यवाही।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति (बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्मूलन बारे।
10..	बाल श्रम (उन्मूलन एवं विनियम) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय समिति	बाल श्रम मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्मूलन बारे।
11.	भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगारों (रेग्युलेषन ऑफ एम्प्लायमैन्ट एण्ड कन्डिषन ऑफ सर्विस) एकट,1996 (रोज़गार सेवाओं का विनियम एंव सेवा षर्तें) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि० प्र० भवन एंव सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिये हि० प्र० भवन एंव सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।

#### 10. विद्युत परियोजनाओं में औद्योगिक धान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएं बोर्ड/समिति	औद्योगिक धान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) जिला स्तरीयं त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएं बोर्ड/समिति	उक्त समिति विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी।
(ग) परियोजना स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएं बोर्ड/समिति	श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/विवरणीयों के सरलीकरण तथा कमी करने बारे।

### न्यूनतम वेतन निर्धारण

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संबोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष 2014–15 में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुषल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 170/- रु 5100/- प्रतिदिन या रु 0 5100/- प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2014 से निर्धारित किया है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से क्रमशः 13.33 प्रतिष्ठत अधिक है। अर्ध कुषल, कुषल तथा उच्च कुषल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात) से बढ़ोतरी की गई जो कि दिनांक 01–04–2014 से लागू है, जिन अनुसूचित व्यवसायों में गढ़ोतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:—

1. कृषि
  2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई/क्रिंग/पत्थर तुड़ान
  3. फौरेस्टरी एंव टिम्बरिंग आप्रेषन
  4. पब्लिक मोटर ड्रांसपोर्ट
  5. दुकान एंव वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
  6. रसायन और रसायन उत्पाद
  7. इंजीनियरिंग उद्योग
  8. चाय बागान
  9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
  10. होटल/रेस्टोरेंट
  11. निजि ऐक्षणिक संस्थान
1. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों को मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिष्ठत की बढ़ोतरी देय है।
  2. हिमाचल प्रदेश के गैर जन-जातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिष्ठत की बढ़ोतरी देय है।
  - 3.. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिष्ठत की बढ़ोतरी देय है अगर निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाएँ/जन जातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिष्ठत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय है।
  4. महिला-पुरुश कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी व्यवसाय में कार्यरत अकुषल कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोज़गार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक ;श्रमद्वं को भी

“निरीक्षक” नियुक्त किया है यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एंव वेतन भुगतान सम्बन्धी विकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों /सिविल न्यायधीषों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 तथा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

### बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना:

बन्धुआ मजदूर के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उप मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित विकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में विकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जाँच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाशा में आता हो।

### बाल श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिये प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की षक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्रम संख्या	टधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप-मण्डल अधिकारी, हि०प्र०	राजस्व
2.	आयुक्त, नगर निगम, षिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि०प्र०	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, हि०प्र०	राजस्व
5.	समस्त महा-प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि०प्र०	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि०प्र०	श्रम एंव रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि०प्र०	—उक्त—
8.	समस्त अधिषाशी अधिकारी, नगर परिषद/ नगर पंचायत हि०प्र०	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एंव उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि०प्र०	पुलिस
10.	समस्त जिला/ तहसील कल्याण अधिकारी, हि०प्र०	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी, हि०प्र०	—उक्त—
12.	समस्त बाल विकास एंव प्रोजैक्ट अधिकारी, हि०प्र०	—उक्त—

13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि०प्र०	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि०प्र०	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि०प्र०	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि०प्र०	आबकारी एवं कराधान

### **भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा षर्टों का विनिमय) एक्ट, 1996.**

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एंव अन्य निर्माण कामगार ;नियोजन तथा सेवा षर्टों का विनिमयद्व अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत हि०प्र० भवन एंव अन्य निर्माण कामगार ;नियोजन तथा सेवा षर्टों का विनियमद्व नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत भवन एंव अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतु हि० प्र० भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को किया है। यह बोर्ड भवन एंव निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्चन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राष्ट्रि, अपंगता पैन्चन, औज़ार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, षिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, षादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्चन एंव व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राशद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जन श्री बीमा योजना, भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिये पारगमन आवास सुविधा और महिला लाभधियों के लिये साईकल प्रदान करना कैरोसीन/डीज़ल स्टोव भत्ता और कामगारों के बच्चों के लिये 25–35 वर्शद्व कौषल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करता है। भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन एंव अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य हों उनके कुल व्यय का 1 प्रतिष्ठत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिष्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एंव अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एंव लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

#### **कामगारों को पहचान–पत्र प्रदान करना:**

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुनिष्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को, कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान–पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार ;स्थाई आदेषद्व नियम में संशोधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये प्रावधान है।

#### **कर्मचारी भविष्य निधि एंव विविध प्रावधान अधिनियम, 1952**

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, षिमला में स्थित है। इस योजना के अन्तर्गत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवष्यक भविष्य निधि में अंषदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों में प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से

लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत 8877 संस्थानों में 11,54,726 कर्मचारियों को लाया जा चुका है।

#### कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे ऐडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000/- रुपये से अधिक है वह इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंषदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलनः—(1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौरः— (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊना:- (1) मैहतपुर (2) बाथड़ी (3) गगरेट (4) नंगल खुड़द, (5) टाहलीवाल, (6) बाथु, (7) व्यामपुरा, (8) गौन्दपुर, (9) जयचन्द, (10) सीमा, (11) देवली, (12) जीतपुर, (13) बहेड़ी, (14) षिवपुर, (15) टटेरा, (16) जलग्राम, (17) टिब्बा, (18) बैहड़ाला तथा जिला षिमला:- (1) षिमला नगर निगम क्षेत्र एवं षोधी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर में गोलथाई औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला मण्डी: (1) मण्डी (2) रती (3) नेरचौक (4) भंगराटू (5) चक्कर एवं (6) गुटकर एवं जिला कांगड़ा के (1) तहाल, (2) रौड़ी, (3) संसारपुर (4) महाल रौड़ी में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन और बद्दी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। इसके साथ क्षेत्रीय निदेषक ई०एस०आई० कारपोरेषन का कार्यालय परवाणु (ई०एस०आई० कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बद्दी में ई०एस०आई० कारपोरेषन का सुपर स्पैषलिटि अस्पताल बन चुका है और जिला मण्डी में ई०एस०आई० कारपोरेषन का सुपर स्पैषलिटि अस्पताल एवं मैडिकल कॉलेज बन चुका है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम दाढ़लाधाट, बागा, बटेड़ एवं सुहली दवारुखाना रौड़ी में भी लागू हो चुका है।

#### कामगारों के लिये षिक्षा योजना

कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा षर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में षिक्षित करना आवश्यक है। कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन षिक्षित किया जाता है। कामगारों को षिक्षित करके दोहरे लाभ की आषा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुषलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह भी षिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को षिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेषक, कामगार षिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त, हि० प्र० इस बोर्ड के सदस्य हैं।

#### श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण षिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला षिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण धर्मषाला में वर्ष 2003 से स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग पामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला

एवं सत्र न्यायधीष के पद के बराबर के एक—एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:—

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिश्ठ आषुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिश्ठ सहायक—एवं—रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर—कम—चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन श्रम न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राष्ट्र भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में दायर दिये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की षक्तियां दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग—अलग हैं। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर—दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये षिमला/धर्मषाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को षीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2014 से 31.3.2015 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2014 को लम्बित मामले	587	184	771
2	1.4.2014 से 31.3.2015 तक प्राप्त मामले	493	203	696
3	31.3.2015 को कुल मामले	1080	387	1467
4	1.4.2014 से 31.3.2015 तक निपटाये गये मामले	205	204	409
5	31.3.2015 को लम्बित मामले	875	183	1058

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी ;राजपत्रित श्रेणी—पद्ध के नाम से पुनः नामित किया गया। तदनुसार निदेशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं षाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एवं रोज़गार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। दिनांक 1—4—2014 से 31—3—2015 की अवधि के दौरान विभिन्न

न्यायालयों से कुल 128 मामले विधि अधिकारी को प्राप्त हुये। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान विधि अधिकारी के द्वारा 116 मामलों की सुनवाई में उपस्थिति दी गई तथा 21 मामलों के सम्बन्ध में विधि परामर्श दिया गया।

दिनांक 1-4-2014 से 31-3-2015 तक निवेषालय श्रम एंव रोज़गार, हिं0 प्र0 के न्यायालय में मामलों का विवरण:-

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31-3-2014 तक कुल लम्बित मामले	31-4-2014 से 31-3-2015 तक प्राप्त कुल मामले	31-3-2015 तक कुल मामले	31-3-2015 तक कुल निपटाये गये मामले	31-3-2015 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	19	9	28	4	24
2.	हिं0 प्र0 उच्च न्यायालय	1051	114	1165	681	484
3.	हिं0 प्र0 प्रषासनिक प्राधिकरण	—	1	1	—	1
2.	अवर श्रेणी न्यायालय	19	4	23	5	18
	कुल	1089	128	1217	690	527

31-3-2015 तक लम्बित मामलों का व्यौरा:-

क्रमांक	थवाद	संख्या
1.	औद्योगिक विवादों के विरुद्ध सन्दर्भों से सम्बन्धित	93
2.	माननीय श्रम न्यायालयों के अधिनिर्णय के विरुद्ध	63
3.	सेवा मामलों से सम्बन्धित	37
4.	न्याय अधिकरण से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित मामलों के विरुद्ध	115
5.	श्रम कानूनों से सम्बन्धित अन्य मामले	191
6.	भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण/उपकर अधिनियम से सम्बन्धित	28
	कुल:	527

#### अध्याय-4 रोज़गार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं।

1-4-2014 से 31-3-2015 तक जिलावार रोज़गार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिकितयॉ			सम्प्रेशण			सेवा नियोजन			सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)
			सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
1 <sup>ए</sup>	बिलासपुर	9444	41	1	<b>42</b>	1638	2226	<b>3864</b>	17	128	145	52193
2 <sup>ए</sup>	चम्बा	10434	17	3	<b>20</b>	753	1600	<b>2353</b>	9	128	658	60928
3 <sup>ए</sup>	हमीरपुर	13485	66	36	<b>102</b>	1123	2545	<b>3668</b>	57	649	362	81389
4 <sup>ए</sup>	कांगड़ा	36634	141	90	<b>231</b>	2838	6407	<b>9245</b>	172	305	1089	168130
5 <sup>ए</sup>	किन्नौर	2158	-	-	-	10	26	<b>36</b>	3	917	3	8742
6 <sup>ए</sup>	कुल्लू	9047	40	6	<b>46</b>	229	1257	<b>1486</b>	4	-	361	67485
7 <sup>ए</sup>	लाहौल स्पिति	877	18	-	<b>18</b>	394	11	<b>405</b>	-	357	-	4078
8 <sup>ए</sup>	मण्डी	41684	1	155	<b>156</b>	4167	3203	<b>7370</b>	74	-	327	199691
9 <sup>ए</sup>	षिमला	17646	281	7	<b>288</b>	582	127	<b>709</b>	46	253	46	76750
10 <sup>ए</sup>	सिरमौर	11601	15	200	<b>215</b>	590	3037	<b>3627</b>	3	-	26	61128
11 <sup>ए</sup>	सोलन	12066	61	2092	<b>2153</b>	769	12882	<b>13651</b>	19	23	571	56652
12 <sup>ए</sup>	ऊन्ना	12233	23	802	<b>825</b>	1722	3793	<b>5515</b>	156	552	1163	55822
	जोड़	177309	704	3392	<b>4096</b>	14815	37114	<b>51929</b>	560	1007	4751	892988

### शिक्षावार विभाजन4191

स्नातकोत्तर	67816
स्नातक	117795
दसवीं व उपर स्नातक से कम	644407
दसवीं से कम पढ़े लिखे	61871
अनपढ़	1099
कुल योग	<b>892988</b>

### जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	203030
अनुसूचित जन जाति	43120
टो.बी.सी.	82875
अन्य	<b>563963</b>
कुल योग	<b>892988</b>

### स्त्री/ पुरुष विभाजन

पुरुश	523684
स्त्री	369304
कुल योग	892988

### षहरी ग्रामीण विभाजन

षहरी	125075
ग्रामीण	767913
कुल योग	892988

#### कौषल विकास भत्ता योजना, 2013:

(क) कौषल विकास भत्ता योजना, 2013 को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—श्रम(डी) 1–2 / 2013 दिनांक 21.5.2013 द्वारा अधिसूचित कर लागू किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के षिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौषल विकास करना है ताकि उसके उपरान्त उनकी नियोजनीयता बढ़ सके। योजना के अन्तर्गत जो हिमाचली युवा हि0 प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित गाईडलाईन्ज़ अनुसार मान्यता प्राप्त प्रषिक्षण संस्थानों से प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा पात्रता की अन्य षर्तें पूरी करते हैं, को ₹0 1000/- प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिषत स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹0 1500/- प्रतिमाह की दर से, कौषल विकास भत्ता, प्रषिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्श तक देय है।

(ख) कौषल विकास भत्ता हेतु पात्रता षर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो,,
2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो,
3. कम से कम 8वीं उत्तीर्ण हो (मिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रषिक्षण हेतु ऐक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4. आयु 16 से 36 वर्श से कम,
5. पारिवर्क वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये।
7. देष में कहीं भी किसी भी कौषल विकास पाठ्यक्रम में हिमचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य एंव अस्वीकार्य प्रषिक्षण की गाईडलाईन्ज़ / सूचि के अनुसार प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

(ग) योजना के अन्तर्गत प्रषिक्षण संस्थानों तथा प्रषिक्षणों की गुणवता को सुनिष्ठित करवाने के उद्देश्य से स्वीकार्य एंव अस्वीकार्य प्रषिक्षण की गाईडलाईन्ज़ को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया जिन्हें कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है। अतः सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कौषल विकास में प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ड्रेनिंग कोर्स योजना के

अन्तर्गत मान्य है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का निजि क्षेत्र के संस्थानों (सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा) / गैर-सरकारी संस्थानों को कौषल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से इन्पैनल करने हेतु गठन किया गया है। जिला स्तरीय समितियों को इन संस्थानों की आधारभूत संरचना, अध्यापन निपुणता, प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आदि की जांच करने उपरान्त इन्पैनल करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिला स्तरीय समितियों द्वारा हि० प्र० में 252 प्रशिक्षण संस्थानों को इन्पैनल किया गया है तथा लगभग 1788 प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों को निरीक्षण करने उपरान्त गुणात्मक प्रशिक्षण तथा उपयुक्त आधारभूत संरचना के अभाव में नामन्जूर कर दिया गया है।

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेनीकल, कॉलेजों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षणों एन०एस०क्य०एफ० ,छैफ०द्व एन०सी०वी०टी०;छैफ०द्व एस०सी०वी०टी०;बैट्ज०द्व तथा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षणों और कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालयों द्वारा करवाये जा रहे डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रशिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राश्ट्रीय स्तर के निजि क्षेत्र के संस्थान एन.आई०आई०टी०ए अपटैक, ऐसैकट, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लि०, कम्प्यूटर मैन्टेनैन्स कॉर्पोरेशन लि० और जैटकिंग द्वारा करवाये जा रहे डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटिषियन, कढाई बुनाई, फैषन डिजाईनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मौबाईल रिपेयर, चम्बा रूमाल इम्ब्रोयडरी, मुर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीषियन, हैण्डलूम, योर्ट हैन्ड टाईपिंग आदि में दिये जा रहे प्रशिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोज़गार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य हैं। इस वित्तीय वर्ष में 52815 अभ्यर्थियों (जिनमें कि 21126 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं तथा 31689 इस वित्तीय वर्ष के नये अभ्यर्थी हैं। को २८.६० करोड़ की धनराषि कौषल विकास भत्ता के रूप में प्रदान की गई, जिसका जिलावार व्यौरा निम्नलिखित है :—

क० स०	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राषि ;रूपये मेंद्व
1ए	सिरमौर	6876	28652000
2ए	बिलासपुर	1198	6907000
3ए	हमीरपुर	4373	23405500
4ए	सोलन	3714	13597000
5ए	कुल्लू	3835	16611500
6ए	ऊना	5351	2969854
7ए	करगड़ा	14904	85890500
8ए	चम्बा	3834	28251215
9ए	मण्डी	5344	30341000
10ए	षिमला	3124	21639000

11 <sup>ए</sup>	किन्नौर	156	1277000
12 <sup>ए</sup>	लाहौल स्पिति	101	6675000
	कुल  (21126 आवेदक पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं तथा 31689 इस वित्तीय वर्ष के नये अभ्यर्थी हैं।)	52815	286938069

योजना के प्रारम्भ से 31–3–2015 तक 73766 अभ्यर्थियों को कुल ₹42.66 करोड़ की धन–राशि कौशल विकास भत्ता के रूप में प्रदान की जा चुकी है।

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विषेश रोज़गार कार्यालय (अंपांगों हेतु), द्वारा वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विषेश रोज़गार कार्यालय (अंपांगों हेतु) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विषेश अंपांग कक्ष धर्मषाला में वर्ष 1983 से कार्यरत है। यह कक्ष अंपांग आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन एंव निजि क्षेत्र के प्रतिश्ठानों में रोज़गार दिलवाने में सहायता प्रदान करता है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएँ/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में उपरी आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण परीक्षा पास करने से छूट है तथा विकलांगों के लिये आरक्षण निम्न प्रकार से हैं:—

क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिष्ठत
1.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिष्ठत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिष्ठत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अंपांग तथा उनके अनुरक्षकों को यात्रा–भत्ता देने का प्रावधान है। 200 रोस्टर प्यार्इट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला 30वां, 73वां, 101वां, 130वां व 173वां है। क्रमषः दृद्धिटदोश अंपांग, श्रवण एंव वाक अंपांग तथा अस्थि अंपांग व्यक्तियों के लिये किया जाता है। व्यक्ति जिनमें अक्षमतायें हैं, समान अवसर, अधिकारी संरक्षक और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्यार्इट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विषेश रोज़गार कार्यालय (अंपांगों हेतु), द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

क्र0सं0	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों	नियुक्तियों के विरुद्ध	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
---------	---------	----------------------------	------------------------	-------------	-------------

			सम्प्रेशण		
1	1,879	187	209	24	17,565

## व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्षः

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा ऐसी तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय षिमला, मण्डी व धर्मषाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व षिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोज़गार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या:श्रम (एम्प) 16 / 6 / 93-1, दिनांक:31-1-2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व-रोजगार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिश्ठानों व विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1-4-2014 से 31-3-2015 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:-

1. 2014–15 में विभाग को व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये ₹3,00,000/- का बजट आबंटित किया गया तथा इस वित्त वर्ष में 150 व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किये गये। जिला रोज़गार अधिकारियों द्वारा 232 तथा उप-क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी, अनु० जाति/अनु० जन जाति हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र मण्डी द्वारा 48द्व०
  2. केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला मुख्यालय मण्डी में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन-जाति के युवाओं के लिये प्रषिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें हिन्दी में टंकण, स्टैनो आशुलिपि तथा कम्प्यूटर में निषुल्क प्रषिक्षण दिया जाता है। इस वित्तिय वर्ष में 150 लोगों को प्रषिक्षण दिया गया है।
  3. स्टेषनरी छपवाने के लिये ₹1.90 का बजट प्रावधान रखा गया था। जिस से ग.10 , ग.1 फार्म और कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये तथा पूरे बजट को व्यय किया गया।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियाँ:

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को निजि क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष, 2014–15 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोषिष्ठ की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-षक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के वर्ष 2014–15 के कार्य कलापों का लेखा—जोखा निम्न प्राकर से

रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेशण	सेवा नियोजन
98	1138	19

राज्य में स्थित रोजगार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में अकुषल कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके।

वर्श	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2014–15	162	2507

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के भिन्न-2 स्थानों में 12 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 4295 आवेदकों का सेवा नियोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिष्ठत रोजगार की मोनिटरिंग:

विभाग के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी/जिला रोजगार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिष्ठत हिमाचलियों को रोजगार के विशय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल-विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिष्ठत से कम हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एमपीपी एण्ड पावर को भेजी जाती है। अभी तक 178 उद्योगों तथा 13 जल विद्युत परियोजनाओं जिनमें 70 प्रतिष्ठत से कम हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग तथा एमपीपी एण्ड पावर विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है।

### रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम:

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय/जिला रोजगार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोजगार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोजगार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को व्यक्त करता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिश्ठानों व निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे ये ऑकड़े रोजगार कार्यालयों (रिकितयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिष्ठित किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की ईकाईयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। रोजगार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विषेशकर नई ईकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, व उन्हें रोजगार कार्यालयों (रिकितयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिकितयों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के 338 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
111	147	258

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति का विष्लेशण विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिश्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/13	4181	1661	270955	139834
त्रैमासान्त मार्च/14	4195	1724	272141	145921

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च, 2014 में नियोक्ताओं की संख्या एंव अनुमानित रोज़गार :—

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार
मार्च / 13	129	11544	2750	193697	740	19356	499	42646	63	2712
मार्च / 14	123.	11329	2755	195646	749	19444	505	42063	63	3659

निजी क्षेत्र में 2014 में नियोक्ताओं की संख्या एंव अनुमानित रोज़गार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले	10 से 24 कर्मचारियों वाले	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार
त्रैमासान्त मार्च / 13				
त्रैमासान्त मार्च / 14				

सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2014 में औद्यौगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एंव अनुमानित रोज़गार:—

त्रैमासान्त मार्च, 2012		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार	प्रतिश्ठान संख्या	अनुमानित रोज़गार
1.	कृषि, शिकार, वानिकी एंव पशु व्यवसाय	165	16789	12	483
2.	मतस्य शिकार	4	73	1	50
3.	खनिज एंव खाद्य	45	1673	1106	117095
4.	उत्पादन	172	33869	47	3753
5.	विद्युत गैस एंव जल	138	40431	16	1972
6.	निर्माण	26	735	40	1476
7.	थोक, व्यक्तिगत एंव घर-गृहस्थ सामान एंव परचून व्यापार	45	12956	7	307
8.	होटल एंव रेस्टरां	13	749	127	4123
9.	यातायात, संचार एंव भण्डार	15	4079	16	1326
10.	वित्तीय बीमा	882	12458	25	456
11.	सम्पदा, लगान, व्यवसाय कार्यकलाप	78	4951	1	19
12.	लोक प्रेषासन, रक्षा, सामाजिक एंव व्यक्तिगत समस्यायें	687	49487	1	30
13.	शिक्षा	1673	73074	305	13370
14.	स्वास्थ्य एंव सम्बन्धित कार्य	206	20125	20	1461
15.	अन्य सामाजिक एंव व्यक्तिगत सेवायें	46	692	0	0
	कुल	4195	272141	1724	145921

वर्ष 2014–15 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान।  
त्रैमासान्त मार्च,2012 के दौरान रोज़गार।

विवरण—1

त्रैमासान्त मार्च 2014 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2013 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
272141	145921	418062	417179

औसत महिला रोज़गार

विवरण—2

त्रैमासान्त मार्च 2014 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2013 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
63869	21715	85584	84303

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

विवरण—3

त्रैमासान्त मार्च,2014 को कुल रोज़गार			गत वर्श के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिष्ठत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30–03–2013 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2014 को कुल रोज़गार		
410789	418062	1.77	

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार (महिला)

विवरण—4

त्रैमासान्त मार्च,2014 को कुल रोज़गार			गत वर्श के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिष्ठत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30–03–2013 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2014 को कुल रोज़गार		
80004	85584	6.97	

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अन्तर्गत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

कद्द विभागीय 23 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण षिमला तथा धर्मषाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा षिमला, विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो षिमला एवं पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग–पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुष्ठैर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुष्ठैर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुष्ठैर, नालागढ, भरमौर, डोडरा–क्वार, काज़ा एवं चिड़गांव।

खद्द विभागीय 43 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:

श्रम एवं रोज़गार निदेषालय षिमला, उप–निदेषक कारखाना षिमला, उप–निदेषक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मषाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लु एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लु,

अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर व नाहन तथा उप-रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाडी फतेहपुर एंव चौपाल।

गद्ध विभागीय 7 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें उप-रोज़गार कार्यालय उदयपुर, नालागढ़ एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ व जिला रोज़गार कार्यालय/श्रम कार्यालय एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय, सोलन हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

ठनकहमज — |बजनंस माचमदकपजनतम|जंजमउमदज थ्यहनतमे  
कमउंदक छवरु27.स्झवनतएम्मउचसवलउमदज — ज्तापदपदहण

छ छवण	भंक वि  बबवनदज	बजपदमक ठनकहमज 2014.15 ;पद तें द्व	बजनंस माचमदकपजनतम 2014.15 ;पद तेंद्व	
	च्स छ	छछ.च्स छ	च्स छ	छछ.च्स छ
1 <u>प</u>	01.स्झवनतए001.कपतमबजपवद —  कउपदपेजतंजपवदए 01.जाँज जीम भुत्ते	.	1ए06ए96ए000	1ए04ए01ए661
2 <u>प</u>	01.स्झवनतए101.प्दकनेजतपंस त्पसंसजपवदए 01.म्दवितबमउमदज वि स्झवनत द्वै		3ए12ए82ए000	3ए08ए44ए645
3 <u>प</u>	01.स्झवनतए101.प्दकनेजतपंस त्पसंसजपवदए 03.हम ठवंतक	.	29ए000	19ए760
4 <u>प</u>	01.स्झवनतए102.वतापदह ब्दकपजपवदे —  जिमलए01.प्देचमबजवतंजम वि थ्बंजवतपमेण	.	10ए89ए000	9ए76ए341
5 <u>प</u>	01.स्झवनतए103.ल्मदमतंस स्झवनतै मसतिमए 01.म्कनबजपवद	.	.	.
6 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए 001.कपतमबजपवद —  कउपदपेजतंजपवद.01.जाँज जीम वपतमबजवतंजम वि जीम म्तचसवलउमदजण	.	55ए46ए000	51ए79ए773
7 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए004.त्पेमंतबी ऐनतअमल —  जंजपेजपबेए 01.ब्ससमबजपवद वि म्डा	.	67ए63ए000	53ए98ए437
8 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए101.म्तचसवलउमदजै मतअपबमेए 01.माजमदेपवद ब्वअमतंहम वि म्तचसवलउमदजै मतअपबमेए	.	7ए50ए76ए000	6ए28ए94ए726
9 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए101.म्तचसवलउमदजै मतअपबमेए 02.टवंजपवदंस ल्नपकंदबम — म्तचसवलउमदज ब्नदेमससपदहण	18ए20ए000	25ए45ए000	8ए08ए101
10 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए101.म्तचसवलउमदजै मतअपबमेए 03.न्दपअमतेपजल म्तचसवलउमदज प्दवितउंजपवद — ल्नपकंदबम ठनतमंनण	.	5ए67ए000	1ए01ए614
11 <u>प</u>	02.म्तचसवलउमदजए101.म्तचसवलउमदजै मतअपबमेए 05.चमबपंस म्तचसवलउमदज म्माबींदहमैबीमकनसमक ब्जमेद्व	.	7ए86ए000	9ए03ए196

12 <sup>ए</sup>	03.ज्तांपदपदहए 003.ज्तांपदपदह वर्षाजिएउंद - प्देजतनबजवतेए 09.पसस कमअमसवचउमदज  ससवूदबमण	.	99ए00ए00ए000	.	29ए21ए99ए866
13 <sup>ए</sup>	2059.डपदवतैवतो.01.053.42	.	1ए000	.	.
13 <sup>ए</sup>	4250.ब्बपजंसैवतो	4ए80ए000	.	4ए80ए000	.
14 <sup>ए</sup>	2235.च्चदेपवदमते वर्षस्थिवनत - म्भुचसवलउमदज कमचंतजउमदजण	.	33ए29ए000	.	33ए29ए242
	ज्वजंसरु	23ए00ए000	112ए77ए00ए000	12ए88ए101	41ए41ए51ए814

ठन्कलम्भ - |ब्बन् इ समच्छकप्पन्तैज जम्भम्भज थल्लन्है कम्भ |छक्क छद्द31.ज्त्प्त इ कम्टस्ल्लम्भज

1 <sup>ए</sup>	01 स्थिवनतए 796.ज्तपइंस तमैन्ह्यसंदए01.माचमदकपजनतम वद पदवितबमउमदज वर्षस्थिवनत झौं	1ए80ए000	20ए16ए000	94ए431	16ए46ए511
2	02.म्भुचसवलउमदजए796.ज्तपइंस तमैन्ह्यसंदए 01.माचमदकपजनतम वद म्भुचसवलउमदज मतअपबमे	9ए19ए000	47ए54ए000	7ए80ए487	43ए99ए274
3 <sup>ए</sup>	03.ज्तांपदपदहए ज्तपइंस तमैन्ह्यसंदए 06.पसस कमअमसवचउमदज  ससवूदबमण	1000	99ए99ए000	.	19ए71ए958
	ज्वजंसरु	11ए00ए000	1ए67ए69ए000	8ए74ए918	80ए17ए743

#### त्मबमपचज डंरवत भंक.0230 थ्यदंदवपंस ल्पंत 2014.14<sup>ए</sup>

तण्ठवण	भंक वर्ष बबवनदज	भेजपउंजमक त्मबमपचज ;पद तेण्ड्व	बजनंस त्मबमपचज ;पद तेण्ड्व
1 <sup>ए</sup>	0230.00.101.01 न्दकमत स्थिवनत झौं	10ए000	9ए216
2 <sup>ए</sup>	0230.00.102.01 त्महदण वर्षज्तांकम न्दपवद	1ए000	380
3 <sup>ए</sup>	0230.00.104.01 थमै न्दकमत थ्बजवतल बज	4ए05ए38ए000	3ए05ए91ए250
4 <sup>ए</sup>	0230.00.106.001 थमै न्दकमत ब्बदजतंबज स्थिवनत बज	5ए74ए000	5ए82ए739
5 <sup>ए</sup>	0230.00.800.01 थमै न्दकमत ड्वजवत ज्तंदेचवतज बज	1ए26ए000	1ए42ए890
6 <sup>ए</sup>	0230.00.800.02 थमै न्दकमतैवचे - ब्बउउण्णजिसपौउमदज बज	79ए19ए000	79ए27ए848
7 <sup>ए</sup>	0230.00.800.05 त्मबवअमतल वर्षाअमत च्लउमदज	34ए000	55ए921
8 <sup>ए</sup>	0230.00.800.07.क्जीमते ड्पेब त्मबवअमतल	1ए35ए000	15ए46ए394
9 <sup>ए</sup>	0230.00.800.10.ब्बे	44ए76ए000	52ए83ए568
10 <sup>ए</sup>	0230.00.800.11 थ्यदम न्दकमत ठँड्क बजण	10ए000	3ए06ए900
	ज्वजंसरु	5ए38ए23ए000	4ए64ए47ए106

## त्पहीज जव प्दवितउंजपवद

लवअमतदउमदज वभिपुर्बीस च्कांकमौ

कमचंतजउमदज वस्त्र्वनत – मुचसवलउमदज

छवणैतंज; |द्व4.2६2005 कंजमकरु ौपउसंरु171001 जीम 10<sup>जी</sup> |चतपसए2007<sup>ा</sup>

### छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम वजीम चवूमत बवदमिततमक इल बसंनेम ;इद्व वा

“नइ‘मबजपवद ;1द्व वभमबजपवद 4 वजीम त्पहीज वप्दवितउंजपवद |बजए2005ए जीम

लवअमतदवत वभिपुर्बीस च्कांकमौ पे चसमेंमक जव चनइसपौ जीम तमबवतके दक वजीमत  
‘बजपअपजपमे वजीम स्त्र्वनत – मुचसवलउमदज कमचंतजउमदजए” नदकमत रु.

	जीम चंतजपबनसंते वर्दि पजे वतहंदपेंजपवदए निदबजपवदे दक कनजपमे	जीम कमचंतजउमदज वर्दि सङ्ख्यनत — मुचसवलउमदज बंउम पदजव मगपेजमदबम पद 1972 जिमत 'महतमहंजपवद तिवउ प्दकनेजतपमे कमचंतजउमदजण ष्ज पे उंपदसल तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजंजपवद वर्दि अंतपवने सङ्ख्यनत दूँ ;27 ब्दजतंस — 2 'जंजम बजेद्ध दक वित चतवअपकपदह मुचसवलउमदज 'पेजंदबम जव रवझे.ममामतेण जीम कमचंतजउमदज ै इममद चसंलपदह जीम तवसम वर्दि बिपसपजंजवत 'दक तमहनसंजवतण ष्ज बवउचतपमे वर्दि ३ पूदहे. सङ्ख्यनतए थ्बजवतपमे — मुचसवलउमदजण जीम सङ्ख्यनत पूदह पे चतपउतंपसल सवापदह जिमत जीम मूसतिमए ैमासजी — 'मिजल वर्दि जीम लूवतामते पद जीम पदकनेजतपंस 'दक बवउउमतबपंस मेजंइसपौउमदजेण ष्ज पे 'सेव तमेचवदेपइसम वित उंपदजंपदपदह पदकनेजतपंस चमंबम 'दक ैतउवदल इमजूममद जीम उंदंहमउमदजे 'दक जीम लूवतामतेण जीम थ्बजवतल 'पूदह पे तमेचवदेपइसम वित 'चतवअंस वर्दि ठनपसकपदह च्यंदे वर्दि बिजवतपमे ऐ पेनम 'दक तमदमूंस वर्दि बिजवतल सपबमदबम 'दक पदेचमबजपवद वर्दि बिजवतपमे जव मदेनतम बवउचसपंदबम वर्दि चतवअपेपवदे तमहंतकपदह ैमासजीए 'मिजल 'दक मूसतिम वर्दि बिजवतल लूवतामतेण जीम मुचसवलउमदज पूदह ैमासचे जीम पदजमतमेजमक रवझ 'ममामते 'दक वजीमत चमतेवदे पदजमतमेजमक पद 'मसा' मुचसवलउमदज इल लूल वर्दि तमहपेजतंजपवदए 'चवदेवतपदह 'दक इल चतवअपकपदह अवबंजपवदंस हनपकंदबम 'दक बंतममत बवनदे मससपदहण
2 <sup>ए</sup>	जीम चवूमते 'दक कनजपमे वर्दि पजे वर्पिबमते 'दक मुचसवलममेण	<p>म्भैर्पीपबी 'तम कपेचवेमक वर्दि जीम समअमस वर्दि</p> <p><b>मबतमजंतल 'सङ्ख्य 'दक म्चच्यन्द्ध ल्वअजण वर्दि</b></p> <p>पद्ध भेजंइसपौउमदज उंजजमत तमसंजपदह जव सङ्ख्य — म्चच्यन्द्ध वमचजजै</p> <p>पपद्ध स्वा 'द्वै त्र्यल 'द्वै फनमेजपवदेण</p> <p>पपपद्ध ब्वनतज भेण</p> <p>पअद्ध ठनकहमजए थ्पदंदबपंस उंजजमतै माचमदकपजनतम 'दबजपवदेण</p> <p>अद्ध च्यासपबंजपवद वर्दि तृतकेण</p> <p><b>कमचनजल 'मबतमजंतल</b></p> <p>पद्ध 'सस बवततमेचवदकमदबम तमसंजपदह जव चमतेवददमस उंजजमतै पिदंदबपंस 'दबजपवदे मजबण 'तम तवनजमक जीतवनही ैपउ जव जीम 'मबतमजंतलण</p> <p>पपद्ध च्यासपब तमचतमेदजंजपवदे तमबमपअमक पद जीपे वर्पिबम 'तम वितूंतकमक जव जीम बवदबमतदमक कमचंतजउमदजे वित तमचवतज 'दक 'चचतवचतपंजम 'बजपवद</p> <p><b>मबजपवद वर्पिबमत</b></p> <p>पद्ध ज्व 'नचमतअपेम 'सस जीम लूवता तमसंजपदह जव चमतेवददमसै ठनकहमज 'दक च्यासपब तमचतमेदजंजपअम मजबण</p>

	<p>पपद्ध ज्व मदेनतम सस जीम कमंसपदह ०जजण दक क्पंतपेज तम उंपदजंपदपदह सस तमुनपतमक तमहपेजमते दक ममच जीम उम नचकंजमकण</p> <p>पपपद्ध ज्व अमच बंतमनिससल ऊंजबी वद जीम उवअमउमदजे वर्कां पिसमे इमजूममद 'मबजपवद दक नीपहीमत नजीवतपजपगेण</p> <p>पअद्धज्व मदेनतम जपउमसल 'नइउपेपवद वर्क जपउम इवनदक बोंमेध ब्वनतज बोंमेण</p> <p>अद्ध ज्व मदेनतम जीज सस उंदनंसेए ल्समेए पदेचमबजपवदेए हनंतक पिसमे मजबण वर्क जीम 'मबजपवद तम अचज नच जव कंजमण</p>	
	<p><b>“नचमतपदजमदकमदज</b></p>	
	<p>पद्ध ज्व 'नचमतअपेम सस जीम ऊंता वर्क कमंसपदह ०जजेण नदकमत जीमपत बवदजतवसण</p> <p>पपद्ध ज्व मदेनतम जपउमसल 'नइउपेपवद वर्क सस चंचमते बबवतकपदह जव जीमपत चतपवतपजलण</p>	
	<p><b>“तण्डश्रतण ०जजण</b></p>	
	<p>पद्ध ल्वमदपदहृ उंपदजंपदपदह वर्क पिसमे दक दवजपवदह दक कतंजिपदह नच जव कंजम वर्क अंतपवने जलचमे वर्क कंजं दक उंपदजमदंदबम वर्क अंतपवने तमहपेजमतेण</p> <p>पपद्ध भेजइसपौउमदज उंजजमते पदबसनकपदह ट - ट ल्समेए उंपदजमदंदबम वर्क "मतअपबम ठववोए "मतअपबम तमबवतकेए समंअम बबवनदजाए चमदेपवद बोंमेए कपेबपचसपदंतल उंजजमतेए चंल पिगंजपवदए पिदंसपेंजपवद वर्क "मदपवतपजलए बवनतज बोंमे दक वजीमत उपेबण उंजजमतेण</p>	
	<p><b>क्षमता</b></p>	
	<p>पद्ध क्पंतल दक कमेचंजबीै उवअमउमदज वर्क</p>	
	<p>पिसमे</p>	
	<p>पद्ध क्पंतल - उवदजीसल 'जंजमउमदजे मजबण</p>	
	<p>पपद्ध उंपदजमदंदबम वर्क समंअम बबवनदज दक</p>	
	<p>वजीमत उपेबण ऊंता मदजतनेजमक इल जीम "ण्ठ</p>	
3.	<p>जीम चतवबमकनतम विससवूमक पद जीम कमबपेपवद उंपदह चतवबमे पदबसनकपदह बींददमसे वर्क नचमतअपेपवद दक बबवनदजंइपसपजलण</p>	<p>।सस जीम बोंमे पद जीम ठतंदबी तम 'नइउपजजमक वद पिसम इल जीम बवदबमतदमक कमंसपदह ०जजेण "नचमतअपेमक इल जीम "नचकजण दक 'नइउपजजमक जव जीम "ण्ठ भ 'नइउपजे पज नितजीमत जव जीम न्दकमत "मबतमजंतल जीमद जव जीम "मबतमजंतलण त्वनजपदम उंजजमते दक पदवितउंजवतल तममितमदबमे तम कपेचवेमक वर्क ज "ण्ठ न्दकमत "मबतमजंतल समअमसण थ्यदंदबपंस उंजजमतेण मगचमदकपजनतम 'दबजपवदेए</p>

		कमबपेपवद जांपदह चवूमत अमेजे पजी जीमैमबतमजंतलण
4ण	जीम दवतउ॑मज इल पज वित जीम कपेबींतहम वि॒ पजे निदबजपवदेण	।॑जंजमक ज च्वपदज छ्वण 2 – 3ण
5ण	जीम ल्समेए त्महनसंजपवदेए पदेजतनबजपवदेए उंदनंसे दक तमबवतके ॑मसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसण	जीम अंतपवने तनसमे – त्महनसंजपवदेए पदेजतनबजपवदे विससवूमक तम॑ नदकमतरु. 1ण भ्वटे 2ण ॥॑ – ॥॒। ल्समे 3ण ब्वदकनबज ल्समेए 4ण डमकपबंस जजमदकंदबम ल्समेए 5ण कमसमहंजपवद वि॑पिदंदबपंस चवूमतोण 6ण स्ज्ञ ल्समेए ल्छ ल्समेए च्मदेपवद ल्समे मजबण 7ण ट – ट ल्समेए 8ण विपिबम डंदनंसेण
6ण	॑जंजमउमदज वि॑ जीम बंजमहवतपमे वि॑ जीम कवबनउमदजे जींज तम ॑मसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसेण	छ॒।॒
7ण	जीम चंतजपबनसंते वि॑दल ततंदहमउमदज जींज मगपेजे वित बवदेनसजंजपवद पजी तमचतमेमदजंजपवद इल जीम उमउइमते वि॑ जीम चनइसपब पद तमसंजपवद जव जीम वितउनसंजपवद वि॑ पजे चवसपबल वत कउपदपेजतंजपवद जीमतमवणि	छ॒।॒
8ण	।॑जंजमउमदज वि॑ जीम ठवंतकए ब्वनदबपसे	

	<p>ब्वउपजजमम - जीमत      इवकपमे बवदेपेजपदह व      जूव वत उवतम चमतेवदे      बवदेजपजनजमक पजे      चंतज व वत वित जीम      चनतचवेम व पजे कअपबम      दक जव लूमजीमत      उममजपदहे व जीवेम      ठवंतकेद ब्वनदबपसेद      ब्वउपजजमम दक वजीमत      ठवकपमे तम वचमद जव      जीम चनइसपब वत जीम      उपदनजमे व नबी      उममजपदहे तम बबमेपइसम      वित चनइसपबण</p>	छण  ४
9८	<p>। कपतमबजवतल व पजे      वपिबमते दक      मउचसवलममे</p>	<p>1८ "मबतमजंतल ,स्ङ्ग - मुचण्ड. चैण्छवण2621876ए 2880735      2८ वमचनजल "मबतमजंतलण. चैण्छवण2628499ए 2880527      3ैमदपवत च्तपअंजम "मबतमजंतलध्य  ए.चैण्छवण2621876ए      2880735      4८ "मबजपवद वपिबमत.चैण्छवण2880444      5८ "नचमतपदजमदकमदज. चैण्छवण2880544      7८ "तण ोजजेण.चैण्छवण .कव.      8८ श्रतण ोजजण.चैण्छवण.कव.      9८ ब्समतो.चैण्छवण .कव.      10८ च्मवदण .चैण्छवण .कव.</p>
10८	<p>जीम उवदजीसल      तमउनदमतंजपवद      तमबमपअमक इल मंबी व      पजे वपिबमत दक      मउचसवलममे      पदबसनकपदह जीम      'लेजमउ व      बवउचमदेंजपवद      चतवअपकमक पद पजे      त्महनसंजपवदण</p>	छण  ४
11८	<p>जीम ठनकहमज       ससवबजमक जव मंबी व      पजे हमदबल      पदकपबंजपदह जीम      चंतजपबनसंते व सस      चसंदेए चतवचवेमक</p>	छण  ४

	मगचमदकपजनतम तमचवतजे वद कपेइनतेमउमदज उंकमण	दक	
12॥	जीम उंददमत वर्दि मगमबनजपवद वर्दि नईपकल चतवहतंउमेए पदबसनकपदह जीम उवनदज ससवबंजमक दक जीम कमजंपसे वर्दि इमदमपिबंतपमे वर्दि नबी चतवहतंउमेण	वर्दि	छण ।४
13॥	चंतजपबनसंते वर्दि तमबपचपमदजे वर्दि बवदबमेपवदे चमतउपजे वत नजीवतप्रंजपवदे हतंदजमक इल पजण	वर्दि	छण ।५
14॥	कमजंपसे पद तमेचमबज वर्दि जीम पदवितउंजपवद अंपसंइसम जव वत नीमसक इल पजए तमकनबमक पद द मसमबजतवदपब वितउण	वर्दि	छण ।५
15॥	जीम चंतजपबनसंते वर्दि बिपसपजपमे अंपसंइसम जव बपजप्रमदे वित वइजंपदपदह पदवितउंजपवदए पदबसनकपदह जीम बूवतापदह वर्दि सपइतंतल वत तमंकपदह तववउए पर्दि उंपदजंपदमक वित चनइसपब नेमण	वर्दि	छण ।५
16॥	जीम दंउमेए कमेपहदंजपवदे दक वजीमत चंतजपबनसंते वर्दि जीम चनइसपब प्दवितउंजपवद वर्दिपिमतेण	वर्दि	जीपे कमचंतजउमदज अपकम छवजपिबंजपवद कजण 31॥10॥05 ैं सतमंकल कमेपहदंजमक जीम वर्दिपिमते वर्दि जीम स्त्र दक म्तुचसवलउमदज कमचजजण । ।चचमससंजम नजीवतपजलध चनइसपब प्दवितउंजपवद वर्दिपिमतण जीम पक पदवितउंजपवद पे सेव अंपसंइसम वद जीम वर्दिपिपंस मुझेपजम वर्दि जीम जंजम ळवअमतदउमदजण
17॥	नबी वजीमत पदवितउंजपवद उंल इम	वर्दि	जीम सपेज वर्दि सस जीम बजे दक त्समे त्रौपबी तम चमतजंपदपदह जव जीम स - स कमचजजण पे अंपसंइसम वद

चतमेबतपइमकण

जीमैमझेपजम वर्जीम कमचजजण

ठल क्कर्म

“मबतमजंतल ;सङ्ग-मुचणद्व

जव जीम

लवअमतदउमदज वर्भि

म्दकेजण छवणौतंड; |द्व4.2४2005 कंजमकौपउसं.2 जीम 10<sup>जी</sup> |चतपसए2007

ब्बचल जवरु .

9ण जीम च्तपदबपचंस “मबतमजंतल ;त्व्व जव जीम लवअजण वर्भिैपउसं.2ण

10ण |सस जीम |कउदण “मबतमजंतपमे भ्यच्छैपउदसं.2ण

11ण |सस जीम भ्वको पद भ्य

12ण |सस कपआण ब्बउउपेपवदमतेए॒ के पद भ्य

13ण जीम ब्बदजतवससमतए च – “ भ्यच्छैपउसं.5ए वित चनइसपबंजपवद पद जीम  
त्त्वंजतं ;माजतं वतकपदंतलद्व

14ण ल्लनंतक थ्पसमण

“कद.

कमचनजल

“मबतमजंतल ;सङ्ग-मुचणद्व

जव जीम लवअमतदउमदज

वर्भि

लश्वर क्कर्म

लवअमतदउमदज वर्भिभुर्बोंस च्तंकमोण  
कपतमबजवतंजम वर्भिस्ङ्वनत – मुचसवलउमदज

छवरुैतंड;च्तेजीद्व11४05 कंजमक औपउसं.171001 29.4.2014

जीम कमचंतजउमदज पे तमहनसंजवतल पद दंजनतम 'दक चतपउंतपसल बवदबमतदमक पूजी मदेनतपदह जीम पउचसमउमदजंजपवद वि स्ङ्वनत बजे; 26 अदजतंस - 2 वि जीम 'जंजमद्ध 'दक वि जीम मुचसवलउमदज मार्बांदहम ;बउचनसेवतल छवजपिबंजपवद वि टंबंदबपमेद्ध बजए 1959 'दक अतेवदे 'पजी कर्पेइपसपजपमे नुंस व्वचवतजनदपजपमे च्वाजमबजपवद वि त्पहीजे 'दक च्वाजपबपचंजपवदेद्ध बजए 1995 ५ जीम स्ङ्वनत 'पदह वि जीम कमचंतजउमदज पे चतपउंतपसल तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजंजपवद धमदवितबमउमदज वि स्ङ्वनत हैं 'दक उंपदजंपदपदह प्दकनेजतपंस चम्बमण जीम थ्बजवतल 'पदह पे सववापदह त्जिमत जीम त्वहपेजतंजपवद वि थ्बजवतपमे नुमस्तिम - 'मिजल वि वातामते नुतापदह पद 'नबी थ्बजवतपमे जीम मुचसवलउमदज 'पदह हपअमे मुचसवलउमदज 'पेजंदबमए चतपउंतपसल जव जीम लवनजीण

जीम दुमे वि जीम स्ङ्वनत बजे 'तम ' नदकमतरु.

ठवदकमक स्ङ्वनत 'लेजमउ; इवसपजपवद द्ध बजए 1976

ब्वदजतंबज स्ङ्वनत; त्वहनसंजपवद 'दक इवसपजपवदेद्ध बजए 1970

बिपसक स्ङ्वनत; त्वहनसंजपवद 'दक च्वायीपइपजपवदेद्ध बजए 1986

जीम ठनपसकपदह 'दक जीमत ब्वदेजतनबजपवद 'वतामते ;त्वहनसंजपवद वि मुचसवलउमदज 'दक ब्वदकपजपवदे वि 'मतअपबमद्ध बजए 1996५

ब्वदम 'वतामते 'दक ब्वदमउ जीमंजतम 'वतामते ;त्वहनसंजपवद वि मुचसवलउमदज द्ध बजए 1981

जीम ठनपसकपदह 'दक बजीमत ब्वदेजतनबजपवद नुतामते अे बजए 1996

मुचसवलममे च्वाअपकमदज थनदक 'दक डपेबमससंदमवने च्वाअपेपवदे बजए 1952५

मुचसवलममे 'जंजम एनतंदबम बजए 1948५

मुंस त्वउनदगतंजपवद बजए 1976५

थ्बजवतपमे बजए 1948५

प्दकनेजतपंस व्पेचनजम बजए 1947५

प्दकनेजतपंस मुचसवलउमदज ;जंदकपदह त्कमतेद्ध बजए 1946५

प्दजमतेजंजम डपहतदंज 'वताउंद ;त्वहनसंजपवद वि मुचसवलउमदज 'दक ब्वदकपजपवदे वि 'मतअपबमद्ध बजए 1979५

जीम स्ङ्वनत हैं ;मामउचजपवद तिवउ नितदपौपदह त्वजनतदे 'दक डंपदजंपदपदह त्वहपेजमते इल बमतजंपद 'जंजइसपौउमदजेद्ध बजए 1988५

डंजमतदपजल इमदमपिज बजए 1961५

डपदपउनउ हमे बज 1948

डवजवत ज्ञादेचवतज 'वतामते बजए 1961५

च्वाउमदज वि ठवदने बजए 1965५

च्वाउमदज वि लंतंजनपजल बजए 1972५

च्वाउमदज वि हमे बज 1936५

क्संदंजंजपवद स्ङ्वनत बजए 1951५

\*समे च्वाउवजपवद मुचसवलममे ,ब्वदकपजपवदे वि 'मतअपबमद्ध बजए 1976५

ज्ञाकम न्दपवदे बजए 1926५

\*'वतापदह श्रवनतदंसपेजे 'दक वजीमत छमेचंचमते मुचसवलममे ,ब्वदकपजपवद वि 'मतअपबम 'दक डपेबमससंदमवने 'चतवअपेपवदेद्ध बजए 1955

\*'वताउंद ब्वउचमदेंजपवद बजए 1923५

26५ मुचसवलउमदज मार्बांदहमे;ब्वउचनसेतल छवजपिबंजपवद वि टंबंदबपमेद्ध बजए 1959

27५ अतेवदे पूजी कर्पेइपसपजपमे ;ज्वासस च्वाजपबपचंजपवदए नुंस व्वचवतजनदपजपमे - च्वाजमबजपवद वि त्पहीजेद्ध बजए 1995५

४४४५

१५ भउर्बांस च्वांकमौैवचे - ब्वउमतबपंस 'जंजइसपौउमदजे बजए 1969

२५ भच्चादकनेजतपंस 'जंजइसपौउमदजे ;छजपवदस - थेजपउंसे भ्वसपकलेए ब्लंस - 'पबा समअम द्ध बजए 1969

;प्द्ध च्वूमते 'दक कनजपमे वि विपिबमते 'दक मुचसवलममेरु

स्ङ्वनत ब्वउचपेपवदमत. बनउ क्पतमबजवत वि मुचसवलउमदज पे 'सेव जीम बिपमि प्देचमबजवत वि थ्बजवतपमे

त्वहपेजतंत वि ज्ञाकम न्दपवदए बिपमि प्देचमबजवत वि वीवचे 'दक ब्वदबपसंजपवद वि पिबमत नदकमत प्दकनेजतपंस

व्पेचनजमे बजए 1947५

जीम कपतमबजवतंजम उवदपजवते जीम लूतापदह वि जीम पिमसक वापिबमे ष्टमहपेजतंजपवद वि थंबजवतपमे पे कवदम नदकमत जीम थंबजवतपमे |बजए1948 'दक कपेचनजमे 'तम तममिततमक जव जीम जूव सङ्खनत ब्वनतजे .बनउ.प्दकनेजतपंस ज्तपइनदंसे पद भ्य 'जौपउसं 'दक कैंतंरैंसं नदकमत जीम प्दकनेजतपंस कपेचनजमे |बजए1947ए त्महपेजतंजपवद वि ज्तंकम न्दपवदे पे कवदम नदकमत जीम ज्तंकम न्दपवद |बजए1926 त्महपेजतंजपवद वि डवजवत ज्तंदेचवतज पे कवदम नदकमत डवजवत ज्तंदेचवतज |बज च्वेमबनजपवद 'दबजपवदे 'तम हपअमद जव जीम पिमसक निदबजपवदंतपमे जव संनदबी चतवेमबनजपवद 'हंपदेज जीम कमनिसजमते नदकमत अंतपवने सङ्खनत सूँण

म्तुचसवलउमदज )ऐजंदबम पे चतवअपकमक जव चैलेपबंससल भंदकपबंचचमक 'दक 'चवदेवतपदह वि 'पससमक तमहपेजतंदजे जव चतपअंजम 'मबजवतए पदेचमबजपवद वि 'नइ.वतकपदंजम वापिबमे 'दक भेजंइसपौउमदजे पद च्तपअंजम 'दक च्नइसपबै'मबजवतण

चृत - कन्फैरु

#### सङ्खनत ब्वउउपेपवदमतरु

सङ्खनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह ' बैपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमे 'वचे 'दक ब्वउउमतबपंस भेजंइसपौउमदजे |बजए 1969 जीम सङ्खनत ब्वउउपेपवदमत पे 'सेव निदबजपवदपदह ' ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम प्दकनेजतपंस कपेचनजमे |बजए 1947 'दक त्महपेजतंत ज्तंकम न्दपवदे नदकमत जीम ज्तंकम न्दपवदे |बजए 1926ए जीम सङ्खनत ब्वउउपेपवदमत 'सेव निदबजपवदे' प्देचमबजवत नदकमत जीम अंतपवने सङ्खनत सूँ 'दक जीम अतजपलिपदह वापिबमत नदकमत प्दकनेजतपंस म्तुचसवलमसे ;जंदकपदह ल्कमतद्व |बजण

#### श्रवपदज सङ्खनत ब्वउउपेपवदमतरु

जीम श्रवपदज सङ्खनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह ' |ककपजपवदंस बैपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमे नदकमत जीम थंबजवतपमे |बजए1948 'दक जीम अतजपलिपदह वापिबमत नदकमत प्दकनेजतपंस म्तुचसवलममै;जंदकपदह ल्कमतद्व |बजए |च्चमससंजम |नजीवतपजल नदकमत जीम च्लउमदज वि ल्लतंजनपजल |बज 'दक 'सेव निदबजपवदपदह ' प्देचमबजवत नदकमत अंतपवने सङ्खनत सूँ 'दक 'सेव निदबजपवदपदह ' ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम प्दकनेजतपंस कपेचनजमे |बजए1947 वित्रीवसम भ्य

#### कमचनजल सङ्खनत ब्वउउपेपवदमतरु

जीम कमचनजल सङ्खनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह ' कमचनजल बैपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमे नदकमत जीम थंबजवतपमे |बजए 1948ए |च्चमससंजम |नजीवतपजल नदकमत जीम ब्वदजतंबज सङ्खनत |बज;-- |द्व |बजए1970ए त्महपेजतपदह वापिबमत नदकमत जीम डवजवत ज्तंदेचवतज 'वतामत |बजए1961 'दक 'सेव निदबजपवदपदह ' प्देचमबजवत नदकमत जीम अंतपवने सङ्खनत सूँ 'दक 'सेव निदबजपवदपदह ' ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम प्दकनेजतपंस कपेचनजमे |बजए1947 वित्रीवसम भ्य

#### सङ्खनत वापिबमते - सङ्खनत प्देचमबजवतेरु

सङ्खनत वापिबमते 'दक सङ्खनत प्देचमबजवते 'तम 'सेव ब्वदबपसपंजपवद वापिबमते वित प्दकनेजतपंस कपेचनजमे णसङ्खनत वापिबमते 'बज ' ब्वदजतवससपदह ' नजीवतपजल जव कमबपकम बसंपरे वि हतंजनपजल नदकमत च्लउमदज वि 'हमे |बजए1970ण्टमहपेजतंजपवद वापिबमते 'दक सपबमदेपदह वापिबमत नदकमत ब्वदजतंबज .सङ्खनत |बज;-- |द्व |बजए1970 'दक प्दजमत 'जंजम डपहतंदज 'वताउमद;त्मैद्व |बज गैमतम जीमतम 'तम उवतम जींद 200 लूतामते 'दक सङ्खनत वापिबमते पे दवज चवेजमक पद जीम कपेजतपबजए जीमतम कपेजतपबज म्तुचसवलउमदज वापिबमते कपेबींतहम जीम कनजल वि ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत जव जतल 'दक तमेवसअम प्दकनेजतपंस

कपेचनजम 'तपेपदह इमजूममद उंदंहमउमदज 'दक नूवतामतेण जीमल 'सेव बंततल वनज प्देचमबजपवद वि न्नाइसपब  
'दक च्तापअंजम 'मबजवत न्दपजेण स्ङ्वनत वीपिबमते 'दक स्ङ्वनत प्देचमबजवते मदेनतम पउचसमउमदजंजपवद वि  
स्ङ्वनत बजे पदबसनकपदह जीम 'वचे तमहेजतंजपवदए पउचसमउमदजंजपवद वि डपदपउनउ 'हमे 'दक  
वितूतकपदह वि बैंमे तमहंतकपदह अपवसंजपवद वि चतवअपेपवद वि चंलउमदज वि हमे इळतंजनपजलए ठवदने  
जव कपतमबजवतंजम वित वइजंपदपदह चतवेमबनजपवद 'दबजपवदेण

#### कमचनजल कपतमबजवत वि थंबजवतपमेरु

कमचनजल कपतमबजवत वि थंबजवतपमे सवगो जिमत त्महेजतंजपवद वि थंबजवतपमे 'दक 'मिजल - मुसतिम वि  
नूवतामते नूवतापदह जीमतमपदण

#### मुक्त्रस्त्वल्लम्भजैम्भज्ञ

ज जीम कपतमबजवतंजम स्ङ्वनत ब्तउपेपवदमत.बनउ.कपतमबजवत वि मुचसवलउमदज पे  
'पेजमक इल कमचनजल कपतमबजवत मुचसवलउमदज 'दक इल मुचसवलउमदज डंतामज प्दवितउंजपवद  
वीपिबमतए 'जंजम टवबंजपवदंस लनपकंदबम वीपिबमतए वीपिबमत पद बैंतहम ;संबमउमदजद्वए ;चमबपंस  
मुचसवलउमदज मार्बीदहम वित चैलेपबंससल भंकपबंचचमकद्व 'दक मुचसवलउमदज वीपिबमत ;बदजतंस  
मुचसवलउमदज अससद्वण

त्महपवदंस मुचसवलउमदज वीपिबमते 'दक कपेजतपबज मुचसवलउमदज वीपिबमते हपअम  
टवबंजपवदंस लनपकंदबमए ब्तममत ब्नदेमसपदह 'दक मुचसवलउमदज )पेजंदबम वित रवइ पद च्तपअंजम  
'मबजवत 'दक लवअजण 'मबजवत 'मुसस ' वित 'मसा मुचसवलउमदजए जव 'नवी चमतेवदे नूव 'तम तमेपकपदह पद  
जीमपत जमततपजवतपंस रनतपेकपबजपवदण जीमल 'सेव पदेचमबज 'नइवतकपदंजम मुचसवलउमदज मार्बीदहमेण  
च्तपअंजम 'दक न्नाइसपब 'मबजवत मेजंइसपौउमदजे पद जीमपत कपेजतपबजे 'तम 'सेव पदेचमबजमक इल जीमउ  
'दक मुचसवलउमदज वीपिबमतए 'नचमतपदजमदकमदज लतंकम.प 'दक 'जंजपेजपबंस )पेजंदजेण पद बैंतहमे वि 'न्न  
वीपिबम मुचसवलउमदज मार्बीदहमे 'तम 'सेव बंततलपदह वनज जीमेम निदबजपवदे मगबमचज जीज वि  
पदेचमबजपवदण जीम जूव न्यळठे 'ज भ्नौपउसं 'दक बैंनकीमतल 'तूंद झनउंत भउंबींस च्तंकमौ 'हतपबनसजनतम  
न्दपअमतेपजल च्संउचनत 'तम हपअपदह अवबंजपवदंस हनपकंदबम उंपदसल जव जीम तमेचमबजपअम  
न्दपअमतेपजल 'जनकमदजेण

;प्पद्व  
च्वबमकनतम विससवूमक पद कमबपेपवद उंपदह चतवबमे पदबसनकपदह बैंददमसे वि 'नचमतअपेपवद 'दक  
'बबवनदंइपसपजलरु

।सस वीपिबमे 'तम नूवतापदह पदकमचमदकमदजसल इनज नदकमत 'कउपदपेजतंजपअम बवदजतवस वि दमगज  
पैपहीमत वीपिबमण जीमल बंद 'सेव इम पदेचमबजमक इल 'नचमतपवत कमचंतजउमदजंस वीपिबमते णजीम वीपिबम वि  
)पेजंदज कपतमबजवत वि थंबजवतपमे न्वं ए 'सस न्दपअमतेपजल मुचसवलउमदज प्दवितउंजपवद लनपकंदबम  
ठनतमंने ए त्महपवदंस मुचसवलउमदज मार्बीदहमेएकपेजतपबज मुचसवलउमदज मार्बीदहमे 'दक वीपिबम वि  
स्ङ्वनत वीपिबमते 'तम 'नकपजमक इल 'ण्णवीपिबम तिवउ जपउम जव जपउम

;टद्व  
जीम दवतउ 'मज इल कपेबींतहम वि पैजे निदबजपवदरु

त्महेजतंजपवद 'दक तमदमूंस वि 'तमहेजतंजपवद पद मुचसवलउमदज मार्बीदहम पे कवदम वद जीम 'उम कंल  
'दक 'चवदेवतपदह वितमहेजतंजजे पे 'सेव कवदम 'पजीपद 'बीमकनसमक जपउम ;लमदमतंससल विनत मुमोद्वण

- ;ટ્રફ્ફ જીમ તનસમેએ તમહનસંજપવદેએ પદેજતનબજપવદેએ ઉંદનસે દક તમબવતકે ીમસક ઇલ પજ વત નદકમત પજે બવદજતવસરુ
- તમપદહ તમહનસંજવતલ કમચંતજઉમદજ પજ મદેનતમે જીમ પાચસમાનમદજંજપવદ વિજીમ બજે ;દક લસમેદ્વું ઉમદજપવદમક જે "તણ છયણ ીમતમપદિનઅમ" સેવ સસ લસમે દક પદેજતનબજપવદ વિભૂતંર્બીસ ચ્કાંકમી લ્લવઅજણ ચ્વચસપબંઝસમ વદ જીમ કમચંતજઉમદજેણ
- ;ટ્રફ્ફ "જંજમાનમદજ વિજીમ બંજમહવતપમે વિજીમ કવબનાનમદજે઱ુ
- | "જંજમાનમદજ વિ જીમ બંજમહવતપમે વિ જીમ કવબનાનમદજે જીંજ તમ ીમસક ઇલ પજ વત નદકમત પજે બવદજતવસણ થ્યસમે તમસંજમક જવ મદેનતપદહ જીમ પાચસમાનમદજંજપવદ જીમ બજે – લસમે ઉમદજપવદમક હંપદેજ "તણછવણ;ટ્રફ્ફીમતમપદિનઅમ" સેવ હિસમે તમસંજમક જવ ઠનકહમજએ ચ્સંદએ દક દદનસ કાચપદપેજતંજપઅમ તમચવતજ મજબાન
- ;ટ્રફ્ફ જીમ ચંતજપબનસંતે વિંદલ તંતંદહમાનમદજ જીંજ મગપેજે વિત બવદેનસંજપવદ પૂજીએ વત તમચતમેમદજંજપવદ ઇલએ જીમ ઉમઉઝમતે વિ જીમ ચનઝસપબ પદ તમસંજપવદ જવ જીમ વિતઉનસંજપવદ વિ પજે ચ્વચસપબલ વત કાચપદપેજતંજપવદ જીમતમવયિ
- દ્વા "જંજમ બ્વાલપજજમમ વદ મુચસવલાનમદજ દવજપિમક વદ ૩૦૩૧૩૨૦૦૬ બવાચતપેપદહ વિ ભવદષ્ટસમ મુચસવલાનમદજ ડપદપેજમતુ" બ્યંપતઉંદએ ૧૬ ઉમઉઝમતે દક વપતમબજવત વિમુચસવલાનમદજ ઉમઉઝમત "મબતમજંતલ પદબસનકમે તમચતમેમદજંજપઅમે વિ મુચસવલમતે પૂતામતે" મુસસ ચનઝસપબ તમચતમેમદજંજપઅમેણ
- ઝદ્વ કપેજતપબજ બ્વાલપજજમમ વદ મુચસવલાનમદજ દવજપિમક વદ ૩૦૩૧૩૨૦૦૬ બવાચતપેપદહ વિ તમેચમબજપઅમ કે " બ્યંપતઉંદએ ૧૦ ઉમઉઝમતે દક તમેચમબજપઅમ ત્યેચ્કસ્ટ" ઉમઉઝમત "મબતમજંતલ પદબસનકપદહ તમચતમેમદજંજપઅમે વિમુચસવલમતેએ પૂતામતે" દક ચનઝસપબ તમચતમેમદજંજપઅમેણ
- બદ્વ ડપદપઉનાર હ્મે |કાખેવતલ ઠવંતક બવદેજપજનજમક વદ ૧૩૭૩૨૦૦૩ બવાચતપેપદહ વિ બ્યંપતઉંદએ ૩૭ ઉમઉઝમતે દક ઉમઉઝમત "મબતમજંતલ" દક બવદેજપજનજમક " બવાલપજજમમ વદ ૩૦૩૧૩૨૦૦૪ બવાચતપેપદહ વિ બ્યંપતઉંદએ ૧૧ ઉમઉઝમતે દક ઉમઉઝમત "મબતમજંતલણ
- કદ્વ માચમતજ બ્વાલપજજમમ નદકમત ઠનપસકપદહ દક બ્વદેજતનબજપવદ બજ બવદેજપજનજમક વદ ૨૪ "મચ્યે૨૦૦૩ બવાચતપેપદહ વિબ્યંપતઉંદએ ૭ ઉમઉઝમતે દક ઉમઉઝમતે"મબતમજંતલ
- મદ્વ ત્મહપવદંસ ઠવંતક વિત ભ્યા ત્મહપવદ નદકમત મૈ બજએ ૧૯૪૮ પ્રોપબી બવદેપેજ વિ " બ્યંપતઉંદએટપબમ.બ્યંપતઉંદએ ૩ ઉમઉઝમતેએ મા.વીપીબપવ ઉમઉઝમતે ૨ મુચસવલમમે તમચતમેમદજંજપઅમે ૬ મુચસવલમતે |કાચપજપવદંસ તમચતમેમદજંજપઅમ દક ઉમઉઝમતે"મબતમજંતલણ
- દ્વિ ત્મહપવદંસ બ્વાલપજજમમ વિત "જંજમ વિભ્યા" નદકમત મુચસવલમમ ચ્વચાપકમદજ થનદક "બીમઉમએ ૧૯૫૨ પ્રોપબી બવદેપેજ વિ બ્યંપતઉંદણ ૨ વિપીબપંસ ઉમઉઝમતે ૫ ઉમઉઝમતે વિમુચસવલમતે તમચતમેમદજંજપઅમે ૫ ઉમઉઝમતે વિ મુચસવલમમે તમચતમેમદજંજપઅમે
- હદ્વ જીતમમ સવબંસ બવાલપજજમમે નદકમત ત્મહપવદંસ ઠવંતક બવદેજપજનજમક નદકમત મૈલમદદ્વત્મહનસંજપવદએ ૧૯૫૦ બવદેપેજપદહ વિસસવૂપદહ ઉમઉઝમતેરુ બ્યંપતઉંદએ ઉમઉઝમત એસ્ઝ્વનત પ્દેચમબજવતએ ડમકપબંસ વિપિબમતએ પ્દ્વારીતહમ ૪ ઉમઉઝમતે વિ થ્બજવતલ – ઠતંદ્વી ડંદંહમતએ મૈ બ્વતચવતંજપવદળ
- નીદ્વ "જંજમ સમઅમસ જ્તપચંતજપજમ બ્વાલપજજમમ પ્રોપબી બવદેપેજ વિબ્યંપતઉંદએ ૧૪ ઉમઉઝમતે દક ઉમઉઝમતે"મબતમજંતલણ

पद्ध ैंजंगम |कअपेवतल ब्बदजतंबज स्स्वनत ठवंतक बवदेपेजपदह बिंपतउंदए७ उमउइमतेए डमउइमतै८मबतमजंतलण  
रद्ध ैंजंगम स्स्वनतै९मसतिम ठवंतक बवदेपेजपदह बिंपतउंदै३१२ उमउइमतेै८दक डमउइमतै९मबतमजंतलण  
ै८मबतमजंतलण

। 'जंजमउमदज वि' जीम इवंतकए बवनदबपसे बवउउपजजममे 'दक वजीमत इवकपमे बवदेपेजपदह वि' जूव वत उवतम चमतेवदे बवदेजपजनजमक' पजे चंतज वि वत वित जीम चनतचवेम वि' पजे 'कअपभमए 'दक'' जवीमजीमत उममजपदहे वि' जीवेम इवंतके एबवनदबपसे एबवउउपजजममे 'दक वजीमत इवकपमे 'तम वचमद जव जीम चनइसपब्व वत जीम उपदनजमे वि' नवी उममजपदहे 'तम 'बबमेपइसम वित चनइसपब्व

। उमदजपवदमक हंपदेज पजमउ दव ,अपपद्धीमतमपदद्वारम उममजपदहे तम दवज वचमद जव चनइसपब ``नवी भूमअमताए कनम बंतम झौं इममद जामद जव पदअवसअम सस जीमे जाम वीवसकमतेण

;पद्म | कृपतमबजवतल विविपिबमते दक मुचसवलममेरु

	ਛੱਤਮ ਵਾਜੀਮ ਵਪਿਬਮਤ	ਕਮੇਹਦਾਂਜਪਵਦ	ਵਪਿਬਮ ਜਮਸਮਚੀਵਦਮ ਛਵੇਣ
1ੴ	ੴ ਅਪਜ ਝੀਲਾਂਚੇ ਐ	ਸੰਝਵਨਤ ਬਉਪੈਪਵਦਮਤ.ਬਨਚ.ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਵੰ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜਾਏ ਘੱਟ ਪ	0177.2625085
2ੴ	ੴ ਅੜਾਵਕ	ਕਮਚਨਜਲ ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਥੰਬਜਵਤਪਮੇਏ ਕਪਤਮਬਜਵਤਯਮ	0177.2624157
3ੴ	ੴ ਨਕਸੀ ਜਨਤਾਂ ਕੀਪਚਨਦ	ਕਮਚਨਜਲ ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਥੰਬਜਵਤਪਮੇਏ ਨਵ	01975.224095
4ੴ	ੴ ਅੜਾਵਨੋਂਸ	ਸ਼ਰਵਪਦਜ ਸੰਝਵਨਤ ਬਉਪੈਪਵਦਮਤ.1ਏ ਕਪਤਮਬਜਵਤਯਮ	0177.2624157
5ੴ	ੴ ਜਨਤ੍ਰਕ	ਕਮਚਨਜਲ ਸੰਝਵਨਤ ਬਉਪੈਪਵਦਮਤ.ਪ੍ਰੇ ਕਪਤਮਬਜਵਤਯਮ	0177.2624305
6ੴ	ੴ ਜ਼ਤਪੋਂਦ ਜਨਤਾਂਤੌਤਾਂ	ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਬਦਜਤਨਸ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਬਸਸਾਏ ਦਕ ੴ ਜਾਜਮ ਟਵਬੰਜਪਵਦਸ ਲਨਪਕਾਂਬਸ ਵਪਿਬਮਤ ਵੀਵਸਕਪਦਹ ਕਕਪਯਪਵਦਸ ਬੀਤਹਮ ਵੰ ਕਲਾਖਪਤਮਬਜਵਤ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜਾ	0177.2620229
7ੴ	ੴ ਚਜਾਂ ਛਪਤਚਨਸ ਤੌਤਾਂ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਵਸਾਂਦ	01792.223746
8ੴ	ੴ ਚਜਾਂਦਹਮਮਜਾਂ ਲਨਚਾਂ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਪੋਪਰਸਾਂ	0177.2658174
9ੴ	ੴ ਅਣਟਾਂਜਾਂਚਾਂਬੀ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਨਵ	01975.226063
10ੴ	ੴ ਅਣਕਣਜਾਂਸਾਂ	ਵਪਿਬਮਤ ਪਦਬੀਂਤਹਮ ਚਸਾਂਬਮਤਮਦਜ ,ਵੈਲੋਪਬਾਸਸਲ ਮੰਦਕਪਬਾਂਚਾਮਕ ਬਸਸਾਦਵ ਦਕ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਭਾਤਮਾਜ ਪਦਵਿਤਾਂਜਪਵਦ ਵਪਿਬਮਤਾਏ	0177.2625277
11ੴ	ੴ ਅਣਗਵਹਪਦਕਮਤੈਪਦਹੀ ਚੰਚਪਸ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਜਾਂਦਹਤਾਂ	01892.224892
12ੴ	ੴ ਅਣਟਾਂਚਾਂਦ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਮੁਤਪਤਵਨਤ	01972.222318
13ੴ	ੴ ਲਵਹ ਤਰ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਜਾਮਲਸਵਦਹ	01900.222252
14ੴ	ੴ ਅੰਤਪ ਤਚ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਜਾਨਸਸਨ	01902.222522
15ੴ	ੴ ਡਾਂਡਾਰੀਂਦੈਪਦਹੀ	ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਤਾਵਦਹ.ਅਵ	01786.222291
16	ੴ ਕਾਮਾਂਪਦਹੀ ਬੰਤਲਾਂਸ	ਕਕਪਯਪਵਦਸ ਬੰਤਹਮ ਵੰ ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਬੰਤਵੰ	01899.222209
17ੴ	ੴ ਅਣਗਣਾਂਠਪਦਕਤਾਂ ਸੰਝਵਨਤ ਵਪਿਬਮਤਾਵ	ਕਕਪਯਪਵਦਸ ਬੰਤਹਮ ਵੰ ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਵਪਿਬਮਤਾਏ ਠਪਸੋਚਨਤ	01978.222450
18ੴ	ੴ ਅਣਤਰਪਦਕਮਤੈਪਦਹੀ ਸੰਝਵਨਤ ਵਪਿਬਮਤਾਵ	ਕਕਪਯਪਵਦਸ ਬੰਤਹਮ ਵੰ ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਾਤਮਦਜ ਮਾਰੀਂਦਹਮਾਏ ਪਤਉਵਨਤ ਜ	01702.222274

		ਛੀਂਦ	
19ੴ	ੴ ਤੰਦ ਬੰਦਕ ਜੀਨਾਤ	ਸੁਚਸਵਲਉਮਦਜ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਡੰਦਕਪ	01905.235508
20ੴ	ੴ ਤਣਚਤੰਦ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਤਮਾਵਦਹ ਚਖ	01786.222007
21ੴ	ੴ ਤਰ ਝਨਾਤ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਕੀਂਤਾਈਂਸ	01892.223745
22ੴ	ੴ ਚਤਮਤੈਪਦਹੀ ਬੰਡਿਲਾਂਸ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਬੰਡਿਅੰ	01899.223233
23ੴ	ੴ ਯਕਾਂਜਾਂਚੈਪਦਹੀ ਟਮਤਾਂ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਵਸਾਂਦ	01792.235542
24ੴ	ੴ ਤੰਸੀ ਚੰਦਹੀਂਦਪੈ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਝਨਸਸਨ	01902.223698
25ੴ	ੴ ਦਨਤਾਂਹੈਂਤਾਂ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਡੰਦਕਪ	01905.225329
26ੴ	ੴ ਸ਼੍ਰਿਯਪਦਕਮਤੈਪਦਹੀ ਠਪਦਕਤ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਠਪਸੋਚਨਤ	01978.221516
27ੴ	ੴ ਤਨਦਪੀ ਝਾਂਤਵਸ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਨਵ	01975.224243
28ੴ	ੴ ਚਨਾਂਦ ਬੰਦਕ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਠਕਕਪ	01795.271210
29ੴ	ੴ ਬੰਦਕਮਤ ਡਦਪੈਂਤਾਂ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਤੁਚਨਤ	01782.234286
30ੴ	ੴ ਤੰਪਦਕਮਤੈਪਦਹੀ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਪਤਉਨਤ ਜ ਛੀਂਦ	01702.226144
31ੴ	ੴ ਯਕਲਾਂਤਸ ਸੱਸ	ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤਏ ਪੋਤਸੰਵਦਮਏ ਪੋਤਸੰ	0177.2624706

ਨਵੁ ਜੀਮ ਉਵਾਡਜੀਸਲ ਤਮਾਨਦਮਤਾਂਜਪਵਦ ਤਮਬਮਪਅਮਕ ਇਲ ਮਨੀ ਵੱਧਿਜੇ ਵੱਧਿਬਮਤੇ 'ਦਕ ਮਉਚਸਵਲਮਮੇ ਪਦਬਸਨਕਪਦਹ  
ਜੀਮ 'ਲੇਜਮਤ ਵੱਧਿਵਾਡਯਮਦੋਂਜਪਵਦੁ' ਚਤਵਅਪਕਮਕ ਪਦ ਪਜੇ ਤਮਹਨਸਾਂਜਪਵਦੁ'

ਚੋਜ	ਚੰਲੈਬੰਸਮ
ਸੁਇਵਨਤ ਬਉਤਪੈਪਵਦਮਤ.ਬਨਾਤ.ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਵੱਧਿਭਚਸਵਲਉਮਦਜਏ ਔਣ	37400670008700 ਲਣਚ
ਕਮਚਨਜਲ ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਵੱਧਿਭਚਨਜਲਪਮੇ	15600.391007800 ਲਣਚ
ਸ਼ਰਵਪਦਜ ਸੁਇਵਨਤ ਬਉਤਪੈਪਵਦਮਤ	15600.391006600 ਲਣਚ
ਕਮਚਨਜਲ ਸੁਇਵਨਤ ਬਉਤਪੈਪਵਦਮਤ	10300.348005400 ਲਣਚ
ਕਮਚਨਜਲ ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਵੱਧਿਭਚਸਵਲਉਮਦਜ	10300.348005400 ਲਣਚ
ਕਪੇਜਤਪਬਜ ਮੁਚਸਵਲਉਮਦਜ ਵੱਧਿਬਮਤੇ	10300.348005400 ਲਣਚ
ਤਮਹਪਵਦਸ ਮੁਚਸਵਲਉਮਦਜ ਵੱਧਿਬਮਤੇ	10300.348005000 ਲਣਚ
ਨਚਮਤਪਦਜਮਦਕਮਦਜ ਲਤਕਮ.ੴ	10300.348005400 ਲਣਚ
ਸੁਇਵਨਤ ਵੱਧਿਬਮਤੇ	10300.348004400 ਲਣਚ
ਮੁਚਸਵਲਉਮਦਜ ਵੱਧਿਬਮਤੇ	10300.348004400 ਲਣਚ
ਨੂੰ ਵੱਧਿਬਮਤ	10300.348004200 ਲਣਚ
ਨਚਮਤਪਦਜਮਦਕਮਦਜ ਲਤਕਮ.ੴ	10300.348004800 ਲਣਚ
ਚਮਤੇਵਦਸ ਪੋਜਾਂਦਜ	10300.348004800 ਲਣਚ
ਮਦਪਵਤੈਬੰਸਮੈਜਮਦਵਹਤਾਂਚੀਮਤ	10300.348004400 ਲਣਚ
ਜਾਂਜਪੇਜਪਬੰਸ ਪੋਜਾਂਦਜ	10300.348003800 ਲਣਚ
ਮਦਪਵਤੈਪੋਜਾਂਦਜ	10300.348004400 ਲਣਚ
ਸੁਇਵਨਤ ਪਦੇਚਮਬਜਵਤੇ	10300.348004200 ਲਣਚ
ਬਉਚਨਜਮਤ ਵਚਮਤਾਂਜਵਤ	10300.348003200 ਲਣਚ
ਸੁਨਦਪਵਤੈਪੋਜਾਂਦਜ	10300.348003600 ਲਣਚ

ਤ੍ਰਨਦਪਰਤ ਬੰਸਮੈ ਜਮਦਵ	10300.348003200 ਲਣਚਾ
ਕਤਪਅਮਤ	5910.202002000 ਲਣਚਾ
ਜਮਦਵ.ਜਲਚਪੇਜ	5910.202002000 ਲਣਚਾ
ਬਸਮਤਾ	5910.202001900 ਲਣਚ
ਕੰਜਿਤਪ	4900.106801400 ਲਣਚਾ
ਚਮਦਾਏ ਬੀਵੂਪਕਾਂਤ - ਸ੍ਰੌਮਚਮਤ	4900.106801300 ਲਣਚਾ
ਥੌੜੀ	4900.106801300 ਲਣਚਾ

;ਗੁਫ਼ ਜੀਮ ਇਨਕਹਮਜ਼ ਸਸਵਬਾਂਜਮਕ ਜਵ ਮੰਬੀ ਵਿੱਪਜੇ ਹਮਦਬਲਏ ਪਦਕਪਬਾਂਜਪਦਹ ਜੀਮ ਚੰਤਜਪਬਨਸਤੇ ਵਿੱਸਸ ਚਸਾਂਦੇ ਏਚਤਵਚਵੇਮਕ ਸਗਚਮਦਕਪਯਨਤਮੇ ਦਕ ਤਮਚਰਤਯੇ ਵਦ ਕਪੇਇਨਤੇਮਉਮਦਾਜ਼ ਉਕਮਧ ਵਿੱਪਿਬਮਤ ਦਕ ਸਗਚਮਦਕਪਯਨਤਮ ਪੇ ਤਮਹਨਸਾਂਤਸਲ ਤਵਦਪਯਤਮਕਣ

;ਗੁਫ਼ ਜੀਮ ਉਦਦਮਤ ਵਿੱਸਗਮਨਜਪਵਦ ਵਿੱਨਿੱਝੇਪਕਲ ਚਤਵਹਤਾਉਮੇਏ ਪਦਬਸਨਕਪਦਹ ਜੀਮ ਉਵਨਦਾਜ ਸਸਵਬਾਂਜਮਕ ਦਕ ਜੀਮ ਕਮਜਾਂਪਸੇ ਇਸਦਮਪਿਬਾਂਤਪਮੇ ਵਿੱਨਿੰਬੀ ਚਤਵਹਤਾਉਮੇਧ

ਛਵਜ |ਚਚਸਪਬਾਂਇਸਮਣ

;ਗੁਫ਼ ਚੰਤਜਪਬਨਸਤੇ ਵਿੱਤਮਬਪਚਪਮਦਯੋ ਵਿੱਕਵਦਬਸੇਪਵਦਾਏ ਚਮਤਾਉਪਯੋ ਵਤ ਨਜੀਵਤਪ੍ਰਾਂਜਪਵਦ ਹਤਦਜਮਕ ਇਲ ਪਯ

ਛਵਜ |ਚਚਸਪਬਾਂਇਸਮਣ

;ਗੁਫ਼ ਕਮਜਾਂਪਸੇ ਪਦ ਤਮੇਚਮਬਜ ਵਿੱਜੀਮ ਪਦਵਿਤਉਂਜਪਵਦ ਅਂਪਸਾਂਇਸਮ ਜਵ ਵਤ ਮੀਸਕ ਇਲ ਪਯਾਏ ਤਮਕਨਬਮਕ ਪਦ ਦ ਸਸਮਬਜਤਵਦਪਬ ਵਿਤਤਤਧ

ਤਮਹੈਜਤਾਂਜਪਵਦ ਤਮਬਵਤਕ ਵਿੱਤਮਹਪਵਦਾਂਸ ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਮਾਬੀਂਦਹਸੈਪਤਸਾਂਏ ਤਮਹੈਜਤਾਂਜਪਵਦ ਤਮਬਵਤਕ ਵਿੱਭਦਜਤਾਂਸ ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਬਸਸ ਜ ਕਪਤਮਬਜਵਤਾਂਜਮ ਏਂਸਾਂਤਲ ਕਪੇਇਨਤੇਮਉਮਦਾਜ ਜ ਕਪਤਮਬਜਵਤਾਂਜਮਣ

;ਗੁਫ਼ ਜੀਮ ਚੰਤਜਪਬਨਸਤੇ ਵਿੱਕਿਪਸਪਯਮੇ ਅਂਪਸਾਂਇਸਮ ਜਵ ਬਪਯਪ੍ਰਮਦੇ ਵਿਤ ਵਿੱਜਾਂਪਦਪਦਹ ਪਦਵਿਤਉਂਜਪਵਦਾਏ ਪਦਬਸਨਕਪਦਹ ਜੀਮ ਕੂਤਾਪਦਹ ਵਿੱਕਿਪਸਪਯਮੇ ਸਪਿੱਤਾਂਤਲ ਵਤ ਤਮਕਪਦਹ ਤਵਦਾਏ ਵਿੱਤੁਉਂਦਯਾਂਪਦਮਕਏ ਵਿਤ ਚਨਇਸਪਬ ਨੇਮਣਧ

ਜੀਮ ਵਿੱਪਿਬਮੇ ਵਿੱਜੀਮ ਕਮਚਨਤਜਾਉਮਦਾਜ ਤਮ ਵਚਮਦ ਜਵ ਬਪਯਪ੍ਰਮਦੇ ਵਿਤ ਵਿੱਜਾਂਪਦਪਦਹ ਪਦਵਿਤਉਂਜਪਵਦ ਵਦ ਸਸ ਕੂਤਾਪਦਹ ਕਲੋਏ ਸੇਚਮਬਪਾਂਸਸਲ ਵਦ ਸਸ ਕੂਤਾਪਦਹ ਡਵਦਕਲੇ ਮੀਸਦ ਵਿੱਪਿਬਮਤੇ ਤਮ ਅਂਪਸਾਂਇਸਮ ਵਿਤ ਤਮਸਜਪਦਹ ਜੀਮ ਬਪਯਪ੍ਰਮਦੇਣ

;ਗੁਫ਼ ਜੀਮ ਉਤਮੇਏ ਕਮੇਪਹਦਾਂਜਪਵਦੇ ਦਕ ਵਜੀਮਤ ਚੰਤਜਪਬਨਸਤੇ ਵਿੱਜੀਮ ਚਨਇਸਪਬ ਪਦਵਿਤਉਂਜਪਵਦ ਵਿੱਪਿਬਮਤੇਧ

ਛਉਮ ਵਿੱਕਮਚਨਤਜਾਉਮਦਾਜਰੂ ਸੰਝਵਨਤ - ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜਏ ਭਪਉਬੀਂਸ ਕਾਂਕਮੀ

ਕਮਜਾਂਪਸ ਵਿੱਚ - |ਚਚਸਸਸਾਂਜਮ |ਨਜੀਵਤਪਯਲ

	ਛਉਮ ਵਿੱਜੀਮ ਚਚ	ਕਮੇਪਹਦਾਂਜਪਵਦ	ਕਮਚਸਸਮਜਮ ਵਿੱਪਿਬਮ  ਕਕਤਮੇ	ਵਿੱਪਿਬਮ ਜਮਸਸਮਚੀਵਦਮ ਛਵੇਣ
1ੴ	ੰਹ ਇਣਾਂਖੈਵਕ	ਕਮਚਨਜਲ ਕਪਤਮਬਜਵਤ ਥੰਭਜਵਤਪਸੇ	ਕਪਤਮਬਜਵਤਾਂਜਮ ਵਿੱਕ ਸੰਝਵਨਤ - ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਛਮੂ ਭਪਤਨੇ ਠਨਪਸਕਪਦਹਾਏ ਭਚਾਈਪਤਸਾਂ.1	0177.2424157
2ੴ	ੰਹ ਜ਼ਾਤਪੰਦ ਜ਼ਾਨਤਾਂ ਥੰਤਾਂ	ਕਪੇਯਤਪਬਜ ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਵਿੱਪਿਬਮਤ	ਕਪਤਮਬਜਵਤਾਂਜਮ ਵਿੱਕ ਸੰਝਵਨਤ - ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਛਮੂ ਭਪਤਨੇ ਠਨਪਸਕਪਦਹਾਏ ਭਚਾਈਪਤਸਾਂ.1	0177.2620229
3ੴ	ੰਹ ਇਣਾਂਖਾਂਨੋਂਸ	ਕਾਵਾਪਦਜ ਸੰਝਵਨਤ ਕਾਉਪੇਪਵਦਮਤ.੯	ਕਪਤਮਬਜਵਤਾਂਜਮ ਵਿੱਕ ਸੰਝਵਨਤ - ਸ਼ੁਚਸਵਲਉਮਦਾਜ ਛਮੂ ਭਪਤਨੇ	0177.2624157

			ठनपसकपदहए भच्छौपउसं.1	
4प	ऐण ज्ञ त्यक्त	क्षमवनजल संइवनत व्यउपेपवदमत	क्षपतमबजवतंजम वरि संइवनत - म्तुचसवलउमदजण छमू भ्यउतने ठनपसकपदहए भच्छौपउसं.1	0177.2624157
5प	ऐण ज्ञतपैद ज्ञानउत्तैतचं	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षपतमबजवतंजम वरि संइवनत - म्तुचसवलउमदजण छमू भ्यउतने ठनपसकपदहए भच्छौपउसं.1	0177.2620229
6प	उजण छपतउसं र्तैतचं	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमैवसं	01792.223746
7प	उजणैदहममजं ळनचजंण	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	त्महपवदंस म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमैन्हैष्टनइएैपउसं	0177.2658174
8प	ऐण्ट्वज्ञांजवबी	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए न्दं	01975.226063
9प	ऐण ल्णक्षंसजंए	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षपतमबजवतंजम वरि संइवनत - म्तुचसवलउमदजण छमू भ्यउतने ठनपसकपदहए भच्छौपउसं.1	0177.2625277
10प	ऐण्श्रवहपदकमत पदही चंजपंस	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	त्महपवदंस म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए कींतउसं	01892.224892
11प	ऐण ल्वह तं वीपउं	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए सं	01900.222252
12प	ऐण टण्चतंदं	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए झुपतयनत	01972.222318
13प	ऐण खंतप तंच	नचमतपदजमदकमदज ल्तांकम.प्प दक ैवसकपदह जीम बींतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहम झनससनण	01902.222522
14प	ऐण डंडउर्वीद पदही	।ककपजपवदंस बेतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए झपददंनत	01786.222291
15प	ऐण च्तमउ पदही बेतइपंस	।ककपजपवद19ंस बींतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहमए बेतइं	01899.222209
16प	ऐण श्रंजपदकमत पदही ठपदकतं ;संइवनत व्यपिबमतद्व	।ककपजपवदंस बेतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहम ए ठपसेचनतण	01978.222450
17प	ऐण त्वंपदकमत पदही ;संइवनत व्यपिबमतद्व	।ककपजपवदंस बेतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत	क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज मार्बीदहम छोंद	01702.222274
18प	ऐण डंद बेदक जीनत	म्तुचसवलउमदज व्यपिबमत ैवसकपदह जीम ककपजपवदंस बेतहम वरि क्षेजतपबज म्तुचसवलउमदज	त्महपवदंस म्तुचसवलउमदज मार्बीदहम एडंदकप	01905.235508

		वीपिबमत		
19प	ऐन त्यच्चत्दं	संइवनत वीपिबमतए त्यबावदह च्चव	संइवनत वीपिबमए ज्ञापददनत ज त्यबावदह च्चव	01786.222007
20प	ऐन त्रं ज्ञानउतं	संइवनत वीपिबमतए वीतंर्तेंसं	संइवनत वीपिबमए वीतंर्तेंसं	01892.225329
21प	ऐन च्तमउैपदही बिउइपंस	।ककपजपवद19ंस बीतहम वीै क्येजतपबज म्त्यसवलउमदज वीपिबमत	क्येजतपबज म्त्यसवलउमदज म्मार्बोदहमए बिउइं	01899.222209
22प	ऐन्क्तंजंचैैपदही ट्यतउं	संइवनत वीपिबमतए वसंद	संइवनत वीपिबमएैवसंद	01792.230745
23प	ऐन्तर्मी च्यहींदपं ,संइवनत वीपिबमतद्व	न्यमतपदजमदकमदज ल्तंकम्.प्प दक ैवसकपदह जीम बीतहम वीै क्येजतपबज म्त्यसवलउमदज वीपिबमत	क्येजतपबज म्त्यसवलउमदज म्मार्बोदहम ज्ञानससनाै	01902.2222522
24प	ऐन दनतंहैैतउं	संइवनत वीपिबमतए डंकप	संइवनत वीपिबमए डंकप	01905.235542
26प	ऐन डनदर्ही ज्ञातवस	संइवनत वीपिबमतए न्दं	संइवनत वीपिबमए न्दं	01975.224243
27प	ऐन अन्तंद बिंदक	संइवनत वीपिबमतए ठंकप	संइवनत वीपिबमए ठंकप	01795.271210
28प	ऐन्बिंदकमत डंपैैतउं	संइवनत वीपिबमतए त्युचनत	संइवनत वीपिबमए त्युचनत	01782.234286
29प	ऐन त्रंपदकमतैैपदही	संइवनत वीपिबमत ैपतउवनत ज छींद	क्येजतपबज म्त्यसवलउमदज म्मार्बोदहम छींद	01702.222274
30प	ऐन्क्लंतम स्स	संइवनत वीपिबमतए ैपउसं	संइवनत वीपिबमएैपउसं भ्यउतने ठीैदएभ्य	0177.2624706

#### ठण च्यमससंजम नजीवतपजल

1	ऐन उपज झौलंचए ऐैन	संइवनत ब्यउपेपवदमत.बनउ. क्यपतमबजवत वीै म्त्यसवलउमदजए भ्यच्य	छमू भ्यउतने ठीैदैैपउसं.171001	0177.2625085
---	-------------------	---	-------------------------------	--------------

;गटप्प्द 'नबी वजीमत पदवितउंजपवद उंल इम चतमेबतपइमकय दक जीमतमंजिमत नचकंजम जीवेम चनइसपबंजपवदे मअमतल लमंतण

|ददनंस |कउपदपेजतंजपवद त्यचवतज ऐ पेनमक मअमतल थ्यदंदबपंस लमंतण

“कद  
संइवनत ब्यउपेपवदमत.बनउ.  
क्यपतमबजवत वीै म्त्यसवलउमदजए भ्यच्य

म्दकेजण्छवर्लौतंउ;क्यौर्ज्ज्व11१०५.१ कंजमक “ैपउसं.171001 श्रनदमए 2013प

ब्यचल वितूतकमक जव जीम विससवूपदह वित पदवितउंजपवद दक दमबर्मेतल बजपवदरु

1प जीम च्तपदबपवंसैम्बतमजतल,संइवनत - म्त्यसवलउमदजद्व जव जीम ल्वअजण वीैभ्यच्यैपउसं.2

2प जीम च्तैैम्बतमजतल ; त्व्य जव जीम ल्वअमतदउमदज वीैभ्यच्यैपउसं.2

3प इस्स जीम भ्यक वीैक्यमचंतजउमदजे पद भ्यउबींस च्यकमीै

4प इस्स जीम बवदबमतदमक वीैपिबमते पद जीम संइवनत - म्त्यसवलउमदज क्यमचंतजउमदजए भ्यच्य

5प इस्स वीैपिबमते पद जीम क्यपतमबजवतंजम वीैसंइवनत - म्त्यसवलउमदजए भ्यच्य

6प सस जीम कमचनजल बउउपेपवदमते पद भ्यच  
7प जीम कपतमबजवत पदवितउजपवद ज्मबीदवसवहलए १०पजसं.171009  
8प छवजपबम ठवंतकण

“कष्ट  
संवनत बउउपेपवदमत.बनउ.  
कपतमबजवत विभुचसवलउमदजए भ्यच

**श्रम एवं रोज़गार विभाग के अन्तर्गत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:**  
श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) **विभागीय 23 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:**

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण षिमला तथा धर्मषाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा षिमला, विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो षिमला एंव पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग—पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुष्ठैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुष्ठैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुष्ठैहर, नालागढ, भरमौर, डोडरा—क्वार, काज़ा एवं चिड़गांव।

(ख) **विभागीय 48 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:**

श्रम एवं रोज़गार निदेषालय षिमला, उप—निदेषक कारखाना षिमला, उप—निदेषक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मषाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लु,

अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर व नाहन तथा उप-रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाड़ी फतेहपुर एंव चौपाल, नालागढ़ एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ व जिला रोज़गार कार्यालय/श्रम कार्यालय एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय, सोलन है।

(ग) विभागीय 1 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें उप-रोज़गार कार्यालय उदयपुर।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।